सूचना का अधिनियम, 2005

सूचना हस्तपुस्तिका
भाग–1
संकलित मैनुअल संख्या 1 से 4 तक

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

चौदहवां संस्करण जून, 2022

विषय सूची

मैनुअल संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	संगठन की विशिष्टयां, कृत्य एवं कर्तव्य	**1–50**
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य	**51–59**
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	**60–73**
4	कृत्यों, के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	**74–75 And Annexure I, II & III**

प्राक्कथन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के साथ ही जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना हस्त पुस्तिका बनायी गयी थी। इस हस्तपुस्तिका में विभाग से सम्बन्धित व्यापक सूचनाओं की संकलित कर अद्यावधिक करते हुये विस्तृत संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय की सूचना हस्त पुस्तिका कुल 3 खण्डों में प्रकाशित की जा रही है। प्रथम भाग में मैनुअल संख्या 1 से 4 तक का संकलन है। मैनुअल संख्या–1 में संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य एवं कर्तव्य, मैनुअल संख्या–2 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य तथा मैनुअल संख्या–3 में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं तथा मैनुअल संख्या 4 में कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान का उल्लेख है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावनाओं के अनुरूप जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा सूचना हस्तपुस्तिका के संशोधित आठवें संस्करण मार्च 2016 के माध्यम से आम जनता को जलागम प्रबन्ध निदेशालय तथा निदेशालय द्वारा चलायी जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। भविष्य में सूचना हस्तपुस्तिका में संकलित सूचना में आवश्यकतानुसार संशोधन संवर्धन एवं परिमार्जन के लिये प्राप्त होने वाले सुझावों का स्वागत है। जनता तक वांछित सूचना हस्तगत कराने के लिये निदेशालय संकल्पबद्ध है।

परियोजना निदेशक (प्रशासन)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

मुख्य परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना हस्तपुस्तिका

भाग—1

मैनुअल संख्या 1

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चौदहवां संस्करण जून, 2022

मैनुअल सं0–1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

उत्तराखण्ड एक जैवीय विविधतायुक्त तथा परिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जिसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहां की भूमि तथा मिट्टी पथरीली एवं भूमि कटाव से प्रभावित है। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा बढ़ता हुआ जैविक दबाव, प्राकृतिक संसाधनों मृदा, जल एवं वनस्पति के अवैज्ञानिक दोहन एवं त्रुटिपूर्ण भू–उपयोग विधियां अपनाने और उपयुक्त प्रबंध तकनीक का अभाव होने के कारण सामुहिक परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु उपलब्ध पारम्परिक संस्थाओं के विघटन से हमारी जीवनदायिनी नदियों के उच्च जलग्रहण क्षेत्रों का ह्रास हुआ, जिसके फलस्वरूप समस्त पारिस्थितिकीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः इस पर्वतीय भू–भाग के वैज्ञानिक नियोजन तथा समेकित प्रबंधन की आवश्यकता है।

1. उद्देश्य

- विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही जलागम आधारित योजनाओं जैसे बरानी खेती (शुष्क भूमि) विकास योजना, बंजर भूमि विकास योजना, सूखे के प्रभाव को कम करने हेतु क्षेत्रीय सूखोन्मुख योजना (डी0पी0ए0पी0), नदियों के कैचमेंट क्षेत्र के भूमि कटाव को रोकने हेतु नदी घाटी परियोजना (आर0वी0पी0) आदि योजनाओं में समन्वय तथा इनमें केन्द्रभिमुखता सुनिश्चित करना तथा प्रभावी नियोजन एवं मूल्यांकन।
- प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग तथा प्रबन्धन, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि, कृषि आधारित आर्थिक विकास, ग्रामीण समुदाय की क्षमता का विकास, भूमि कटाव की रोकथाम, जल संग्रहण तथा क्षेत्र का विकास तथा स्थानीय जन जीवन को निरन्तर विकास की ओर अग्रसर करना है।
- जलागम योजनाओं के लिए केन्द्र/बाहय वित्त संस्थाओं से वित्तीय संसाधन जुटाना।
- ग्रामीण सहभागिता को अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक स्वरूप देने, क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं विकसित तकनीकी जानकारी का प्रसार तथा परियोजना क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता हेतु स्थानीय संस्थाओं की स्थापना।
- भू–सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) को विकसित कर डाटा बैंक तैयार करना व राज्य स्तर पर जलागम योजनाओं के प्रभाव का आंकलन एवं डाक्यूमेंटेशन, दृश्य एवं श्रव्य कार्यक्रमों का आयोजन।

2. परिकल्पना (विजन)

भौगोलिक दृष्टि से राज्य के पर्वतीय जिलों के कुल क्षेत्र को 8 कैचमेन्ट, 26 जलागम, 116 उप जलागम व 1110 सूक्ष्म जलागम में विभाजित किया गया है। इन पर्वतीय जनपदों के बड़े भू–भाग में हो रहे भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के साथ–साथ उत्पादकता वृद्वि द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार किये जाने हेतु जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से किया जा रहा है। जिस हेतु इनका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा क्षमता विकास किया जाता है। वाह्य सहायति एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत अब तक उपचारित क्षेत्र को छोड़कर वर्तमान में 537 सूक्ष्म जलागम चिन्हित किये गये है। जिनमें अब तक जलागम विकास की योजनाएं नही चलाई गई है। मिशन के तहत इन सूक्ष्म जलागम को उपचारित करने हेतु जिलावार प्राथमिकता के आधार पर 15 वर्षीय प्रोसपेक्टिव प्लान तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत 31302 वर्ग कि0मी0 में से 15906 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र का उपचार आई0डब्लू0डी0पी0 एवं डी0पी0ए0पी0 परियोजनाओं के माध्यम से किया जायेगा। अवशेष क्षेत्र का उपचार अन्य योजनाओं यथा एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0, आर0भी0पी0,एफ0पी0आर0 एवं वाह्य सहायतित योजनाओं के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

3. संक्षिप्त इतिहास

माह अगस्त 1978 में बाढ़ की विभीषिका के तुरन्त पश्चात् इसके कारणों के अध्ययन व रोकथाम के उपायों हेतु भारत सरकार द्वारा गंगा यमुना बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया गया था। कार्यकारी दल ने अपनी संस्तुति रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। केन्द्रीय कार्यकारी दल की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने 1979 में ऊपरी गंगा बेसिन की प्रमुख नदियों के जलागम क्षेत्रों के उपचार का निर्णय लिया और तद्नुसार वन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नवम्बर 1981 में उक्त क्षेत्र के उपचार हेतु ''ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान'' तैयार किया गया।

मार्च 1982 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग उत्तर प्रदेश के ''ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान'' को दृष्टिगत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास की विकट समस्याओं पर रोक लगाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों को समेकित रूप से एक प्रशासकीय अथॉरिटी के अंतर्गत 'मल्टी डिसीप्लिनरी फोर्स के माध्यम से जलागम क्षेत्र के आधार पर कराये जाने के लिए राज्य स्तर पर जलागम प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की गई। जिसके माध्यम से शनैः शनैः सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का उपचार सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत पर्यावरण परिरक्षण एवं भू–क्षरण रोकने संबंधी कार्यों वृक्षारोपण, सामाजिक

वानिकी, उद्यानों की स्थापना एवं जीर्णोद्वार चारागाह विकास, अच्छी नस्ल के उच्च उत्पादकता वाले पशुओं की संख्या में वृद्वि, कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नतशील प्रजातियों के बीजों एवं उर्वरकों का वितरण, लघु सिंचाई योजनायें, लघु अभियांत्रिकी संरचनाओं आदि के निर्माण से संबंधित कार्यों के समेकित रूप से सफल संचालन हेतु राज्य, जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालय/इकाईयां स्वीकृत की गईं।

मार्च 1982 से जलागम प्रबन्ध निदेशालय वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता रहा। वर्ष 2002 में जलागम प्रबन्ध को विभाग का स्वरूप प्रदान किया गया तथा इस विभाग के अन्तर्गत जलागम प्रबन्ध निदेशालय को पुर्नगठित कर स्थाई स्वरूप दिया गया।

जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा जलागम के आधार पर कृषि, भूमि संरक्षण, वन, ग्राम्य विकास आदि विभागों के माध्यम से जलागम परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना है। ढालू एवं पर्वतीय भू–संरचना के क्षेत्रों में अनियंत्रित जल प्रवार से भू–क्षरण के कारण कृषि भूमि, वानस्पतिक आवरण का ह्रास रोकने के उद्देश्य से जलागम को नियोजन की इकाई मानते हुए जलागम प्रबंधन एवं विकास की कई योजनाएं कियान्वित हैं। इन योजनाओं का वित्त पोषण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से होता है।

नवगठित उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत राज्य स्तर पर विभिन्न जलागम प्रबंध योजनाओं का संचालन जो कि विभिन्न विभागों/एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, को समेकित रूप से उनके अनुश्रवण/समन्वयन हेतु जलागम प्रबंध निदेशालय को एक नोडल एजेन्सी के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दायित्व को सुचारू एवं समयबद्व तरीके से संचालित करने हेतु जलागम प्रबंध निदेशालय को एक छत्र इकाई के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा अपने स्थापना काल से अब तक विश्व बैंक एवं यूरोपीय यूनियन के सहयोग से निम्नानुसार योजनायें संचालित की गयी–

- यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई0ई0सी0) द्वारा वित्त पोषित दक्षिण भागीरथी फेज–। परियोजनाः

  क्षेत्र – जनपद टिहरी गढ़वाल (6 MWS), 172 वर्ग किमी0

  अवधि– वर्ष 1982 से वर्ष 1988 तक

  व्यय– रू0 6.46 करोड़

  कार्यान्वयन – रेरवा विभागों द्वारा।

- विश्व बैंक वित्त पोषित हिमालयन जलागम प्रबंध परियेाजना

क्षेत्र – जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा (75 MWS), 2867 वर्ग किमी0

अवधि– वर्ष 1983 से वर्ष 1992 तक

व्यय – रू0 80.49 करोड़

कार्यान्वयन – वर्ष 1987–88 तक रेरवा विभागों द्वारा। मध्यावधिक समीक्षा के उपरान्त 1988–89 से यूनीफाईड कमांण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा।

- ई0ई0सी0 वित्त पोषित् दक्षिण भागीरथी फेज–।।

  क्षेत्र – जनपद टिहरी गढ़वाल(18 MWS), 356 वर्ग किमी0

  अवधि– वर्ष 1988 से वर्ष 1996 तक

  व्यय – रू0 19.56 करोड़

  कार्यान्वयन – यूनीफाईड कमांण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा।

- ई0ई0सी0 वित्त पोषित् भीमताल परियोजना

  क्षेत्र – जनपद नैनीताल (8 MWS), 216 वर्ग किमी0

  अवधि – वर्ष 1991 से वर्ष 1998 तक

  व्यय– रू0 12.68 करोड़

  कार्यान्वयन –यूनीफाईड कमांण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा।

- ई0ई0सी0 वित्त दून वैली समन्वित जलागम प्रबन्ध परियोजना

  क्षेत्र – जनपद नैनीताल, देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल (62 MWS), 2408 वर्ग किमी0

  अवधि – वर्ष 1993 से वर्ष दिसम्बर 2001 तक

  व्यय– रू0 102.12 करोड़

  कार्यान्वयन –: यूनीफाईड कमांण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा जिसमें ग्राम स्तर पर परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन एव मूल्यांकन में ग्रामीणों विशेषकर ग्रामीण महिलायें सहभागी रही हैं, परियोजना समाप्ति के उपरान्त सृजित परिसम्पतियों का ररव–रखाव भी ग्राम संसाधन समिति (गरिमा) द्वारा किया जा रहा है। इसके लिये परियोजना काल में लाभार्थियों द्वारा बनाये गये चक्रीय कोष (रिवाल्विंग फंड) में रु0 2.84 करोड़ जमा किये गये।

- विश्व बैंक वित्त पोषित आई0 डब्ल्यू0 डी0 पी0 (हिल्स–।।) शिवालिक परियोजना

  क्षेत्र – जनपद पौडी, नैनीताल एंव ऊधम सिंह नगर (24 MWS), 1573 वर्ग किमी0

  अवधि – सितम्बर, 1999 से 31 सितम्बर, 2005 तक

  लागत – कुल रू0 187.5 करोड़ लगभग।

- **विश्व बैंक वित्त पोषित "उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना" (ग्राम्या–1)**

  परियोजना क्षेत्र– जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौडी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़,अल्मोड़ा, नैनीताल (MWS76) 2348 वर्ग कि0मी0

  परियोजना अवधि – सितम्बर, 2004 से 2012 तक

  परियोजना लागत – लगभग 488 करोड़ रूपया

  परियोजना का कार्यान्वयन– फार्मिंग सिस्टम इम्प्रूवमैंन्ट एवं क्षमता विकास परियोजना द्वारा तथा जलागम उपचार एवं ग्राम विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा।

  अतिरिक्त वित्त पोषण– वर्ष 2010 में विश्व बैंक से अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु 0.798 करोड़ अमेरिकन डालर के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हुए, जिससे परियोजना की कुल धनराशि लगभग रु0 488 करोड़ हो गई।

- **विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत Global Environment Facility (GEF) Trust Fund की उप परियोजना SLEM**

  परियोजना क्षेत्र– उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास योजना क्षेत्रान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल एवं बागेश्वर।

  परियोजना अवधि– 2009 से अगस्त 2013

  परियोजना लागत– 7.49 मि0 अमेरिकन डॉलर (लगभग रु0 37 करोड़)

4. कर्तव्य

- विभिन्न विकास विभागों द्वारा संचालित जलागम आधारित कार्यक्रमों का समन्वय, तकनीकि सहयोग एवं मूल्यांकन।
- जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु प्राथमिकता का निर्धारण तथा योजनायें तैयार करना।
- जलागम योजनाओं के लिए केन्द्र अथवा वित्त संस्थाओं से वित्तीय संसाधन जुटाना।
- प्रदेश के कृषि, भूमि संरक्षण, वन, उद्यान, पशुपालन, लघु सिंचाई, आदि विभागों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा तैयार की गयी जलागम आधारित योजनाओं का तकनीकी परीक्षण, अनुमोदन, सुझाव तथा दोहराव की स्थिति को रोकना।
- रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं से विकसित तकनीकी जानकारी प्राप्त करना। विकसित तकनीकी जानकारी का प्रसार।
- स्वीकृत वाह्य सहायतित जलागम परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना।

- ग्रामीण सहभागिता को अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तथा क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- स्थानीय समुदाय व संस्थाओं की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और विकास करना।
- उन्नत कृषि एवं कृषि विविधीकरण द्वारा ग्रामीण विशेषकर महिलाओं एवं निर्बल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं एवं निर्बल वर्ग को जलागम परियोजनओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सहभागी बनाकर उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- पशु प्रबन्धन में सुधार कर चारे की उपलब्धता में वृद्वि तथा जला संसाधनों के संरक्षण, प्रबन्धन एवं जला सम्भरण द्वारा ग्रामीण महिलाओं के कार्य बोझ में कमी लाना।
- परियोजना क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता हेतु स्थानीय संस्थाओं की स्थापना।
- सामुहिक प्रबंधन व्यवस्था, क्षमता विकास, स्वरोजगार एवं स्वावलम्बन आदि सामाजिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।
- कृषि, उद्यान, वानिकी, जल संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी सुझाव, मानकों आदि का निर्धारण।

5. वर्तमान में संचालित परियोजना–

5.1.केन्द्रपोषित, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास

समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 के दिशा निर्देशानुसार जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को जलागम प्रबन्ध योजनाओं के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है। निदेशालय द्वारा राज्य के अनुपचारित 409 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 19.31 लाख हे0 क्षेत्रफल के उपचार हेतु एक 18 वर्षीय संदर्शी एवं नीतिगत कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसकी लागत लगभग रू0 2742 करोड़ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा इस राज्य संदर्शी एवं नीतिगत योजना का अनुमोदन किया जा चुका है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

उपचार योग्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय की प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्धन कर उनके उत्पादन में वृद्वि करना तथा सभी वर्गो के लिए सामाजिक संस्थागत तथा पर्यावरणीय दृष्टि से एक दीर्घकालीन व्यवस्था तैयार करना।

कार्यक्रम का दृष्टिकोण

ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 के दिशा निर्देशानुसार समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

जलागम विकास परियोजना के समान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्य के समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनो जैसे–जल, भूमि और वनस्पतियों का दीर्घावधिक प्रबन्धन और उपयोग है। यह योजना स्थानीय समुदायों की सहभागिता से, कृषि प्रणाली और ग्रामीण आजीविका के अवसरों की चिरन्तरता के मुद्दे पर समाधान की दिशा में प्रयास करेंगी ताकि लम्बे समय के लिये पारिस्थितिकीय तथा आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सकें। समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के अनुसार यह योजना निम्न मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित होगीः–

1. **समानताः** गरीब, छोटे और सीमान्त किसान, भूमिहीन परिवार, महिलाओं, चरवाहों और अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिये अभिप्रेरित किया जायेगा। इन समूहों को आजीविका गतिविधियों हेतु आवश्यक क्षमता विकास व चक्रीय कोष की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। लिंग आधारित बजट भी प्रस्तावित किया जायेगा।

2. **विकेन्द्रीकरणः** पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे के अनुरुप ही जल एवं जलागम प्रबन्ध समितियॉ सृजित की जायेंगी जिसमें स्वयं सहायता समूहों, उपभोक्ता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों के सदस्य होंगे। गठित की गई जलागम समितियों को परियोजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की जायेगी। ये सभी अधिकारों से युक्त समितियां ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्यन और अनुश्रवण कार्य करेंगी।

3. **सामाजिक संचेतनाः** अधिकारियों की भूमिका नियन्त्रक और नियामक की न होकर सुगमकर्ता के रूप में होगी। इस उद्देश्य के लिये विशेषज्ञ दल जिसमें कि स्वयं सेवी संगठन भी शामिल होंगे, का चयन किया जायेगा जो कि सामाजिक संचेतना और सामुदायिक संगठन का कार्य करेंगे। योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिये समुदाय की क्षमता वृद्धि भी की जायेगी।

4. **सामुदायिक सहभागिताः** सभी हितभागियों को परियोजना की योजना बनाने, बजट बनाने, क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु शामिल किया जायेगा तथा समुदाय के निर्बल वर्ग समूहों के उत्थान पर विशेष बल दिया जायेगा। सभी हितभागियों में स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिये सामुदायिक अंशदान लेकर जलागम विकास कोष में जमा किया जायेगा, जिसे परियोजना समाप्ति के पश्चात चिरन्तरता सुनिश्चित की जा सके।

कार्यनीति

योजना के अन्तर्गत अनुपचारित जलागम क्षेत्रों के सभी वर्गो के लिए विशेष रूप से कृषि कार्यो को प्रोत्साहित कर उत्पादन को बढ़ावा देना तथा परियोजना के लक्ष्यों को पूर्ण करना है। मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों में विशेष बल दिया जायेगा।

1. **विकेन्द्रीकृत योजनाः** विकेन्द्रीकृत संस्थागत संरचना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं की निरूपण तथा क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. **विकास नीतियों में बदलावः** सरकार तथा स्वयं सेवी संस्थाओं पर निर्भरता को धीरें–धीरें कम करने हेतु स्वयं सहायता संस्कृति, स्थानीय पहल और विकास हेतु तीव्र इच्छा, जलागम विकास एक जन सहभागी कार्यक्रम है, जिसमें सरकार और स्वयं सेवी संस्था एक सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करेगी तथा ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को विकसित करने में भू–स्वामी भी अपनी भूमि विकास में आर्थिक रूप से योगदान देगें।
3. **जलागम विकास एवं प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता :** पंचायती राज संस्थाओं तथा समुदाय आधारित संगढनों की समेकित जलागम विकास एव प्रबन्धन योजना तथा निर्मित परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन में भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. **प्राकृतिक संस्थाओं तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता बढाने के तरीकेः**
    - कृषि कार्यो में विविधीकरण के साथ औद्यानिकी (फल एवं सब्जी उत्पादन), फूल उत्पादन एवं औषधीय पौधों का उत्पादन जिसके लिए पहाड़ी क्षेत्र उपयुक्त भी है।
    - मुख्य रूप से वर्षा सिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत, तकनीक, अच्छे बीजखाद तथा धन की उपलब्धता से उत्पादन में बृद्धि व फसल कटाई से पूर्व व बाद में बाजार से सम्पर्क स्थापित करना।
    - कृषि पद्यपि में सुधार व उसकों मुल्य सम्बर्द्धन कर बाजार सुलभ करवाकर जीविकोपार्जक गतिविधियों का सृजन।
    - तकनीकी संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर ग्रामीण तथा परियोजना में तकनीकी जागरूकता विकसित करना।
    - कृषि लघु सिचाई, जैव व अन्य तकनीकी सूचनाओं का आदान–प्रदान।
    - धरातलीय स्तर पर, प्रदर्शन प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के माध्यम से तकनीकी सूचनाओं का प्रचार–प्रचार।
5. **निर्बल वर्ग समूहों पर विशेष ध्यानः** निर्बल वर्ग समूहों यथा महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, सीमान्त किसानों व धुमन्तू जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लिगं–विभेद व महिलाओं के श्रम में कमी लाकर उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सम्बन्धित तकनीकों को विकास करना। परियोजना के कार्य–कलाप व परिसम्पत्तियों का वितरण गरीब

परिवारों को लाभ पहुँचाना पर केन्द्रित होगा। सार्वजनिक निर्णय लेने में गरीब वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

6. **महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना:** महिला वर्ग सदस्य को ग्राम पंचायत स्तर पर कोष संचालन हेतु सह–हस्ताक्षरी बनाना तथा ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना महिलाओं से सम्बन्धित विषयों का समावेश।
7. **परियोजना कार्यो में अंशदान :** जलागम विकास योजनाओं के लिए जलागम विकास कोष (WDF) की स्थापना एक प्रारम्भिक आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की निजी भूमि पर किये गये कार्यो हेतु 10 प्रतिशत धनराशि अंशदान के रूप में WDF में जमा की जाएगीं,
8. ।
   - यह अंशदान की धनराशि WDF बैंक खाते में या तो सीधे जमा की जाएगी अथवा परिश्रमिक के रूप में परिश्रामिक के समान धनराशि परियोजना लागत से जमा की जाएगी, WDF खाते में यूजर्स चार्चेज, बिक्री एवं दान, लामांश व सामुदायिक सम्पत्ति से प्राप्त आय भी जमा होगी।
   - कृषि पद्यति के अन्तर्गत जीविकोपार्जक गतिविधियों यथा मछली–पालन, औद्यानिकी, कृषि वानकी, पशुपालन आदि जो कि लाभार्थी द्वारा अपनी निजी भूमि पर स्थापित किये जाएगें, 20% WDF में जमा की जाएगी।
9. **स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर कार्यो का चयन–** परियोजना कार्यो का चयन कार्यस्थल की विशेषता तथा स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा, जो परियोजना गतिविधियों के निर्धारण में मद्दगार सिद्ध होगा।
10. **क्षमता विकास–** पंचायती राज संस्थाओं, स्टाफ तथा समुदायिक संगठनों की सामाजिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण, कार्यशालायें, अध्ययन भ्रमण द्वारा उनकी सृजन शक्तियों का विकास कर क्षमता में वृद्धि करना तथा सूचना, शिक्षा तथा संवादों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना व इसकों पारदर्शी बनाये जाने हेतु अभिलेखीकरण करना।
11. **पर्यावरण एवं विकास–** जलागम क्षेत्रों के चयन का मुख्य आधार पर्यावर्णीय ह्मस, गरीबी तथा उस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं पर आधारित है, समुदाय द्वारा जलागम क्षेत्रों के कार्यो का चुनाव सामाजिक एवं पर्यावर्णीय प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।
12. **अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन–** राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (SLNA) की निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है–
    1. कार्यदायी संस्थाओं व जिला जलागम विकास इकाई द्वारा आन्तरिक अनुश्रवण
    2. प्रगति विवरण व उसका अनुश्रवण
    3. जी0आई0एस0 / वेब आधारित आन–लाइन अनुश्रवण

4. समुदाय द्वारा स्वयं अनुश्रवण
5. सामाजिक आडिट
6. स्वतन्त्र संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण

सभी स्तर के मूल्यॉकन हेतु भौतिक, वित्तीय तथा सामाजिक आडिट के कार्यो को सम्मिलित किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सुगमकर्ता की भूमिका में होगा, न कि एक निरीक्षक की, मूल्यॉकनकर्ता सम्बन्धित मंत्रालयों व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा नामित किये जाएगें, जिला जलागम विकास इकाई भी मूल्यॉकनकर्ताओं का एस0एल0एन0 से अनुमोदन प्राप्त कर नामित करेंगे।

13. **केन्द्राभिसरण एवं समन्वय–** परियोजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा तकनीकी संस्थानों के आपसी समन्वय से किया जाएगा।
14. **निरन्तरता–** परियोजना के माध्यम से संस्थागत व्यवस्थाये, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, उत्पादकता में वृद्धि तथा सृजित रोजगारों की निरन्तरता बनाये रखने के प्रयास किये जाएगें।

संस्थागत व्यवस्थायें

''समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय, राज्य जिला, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संस्थागत व्यवस्था''

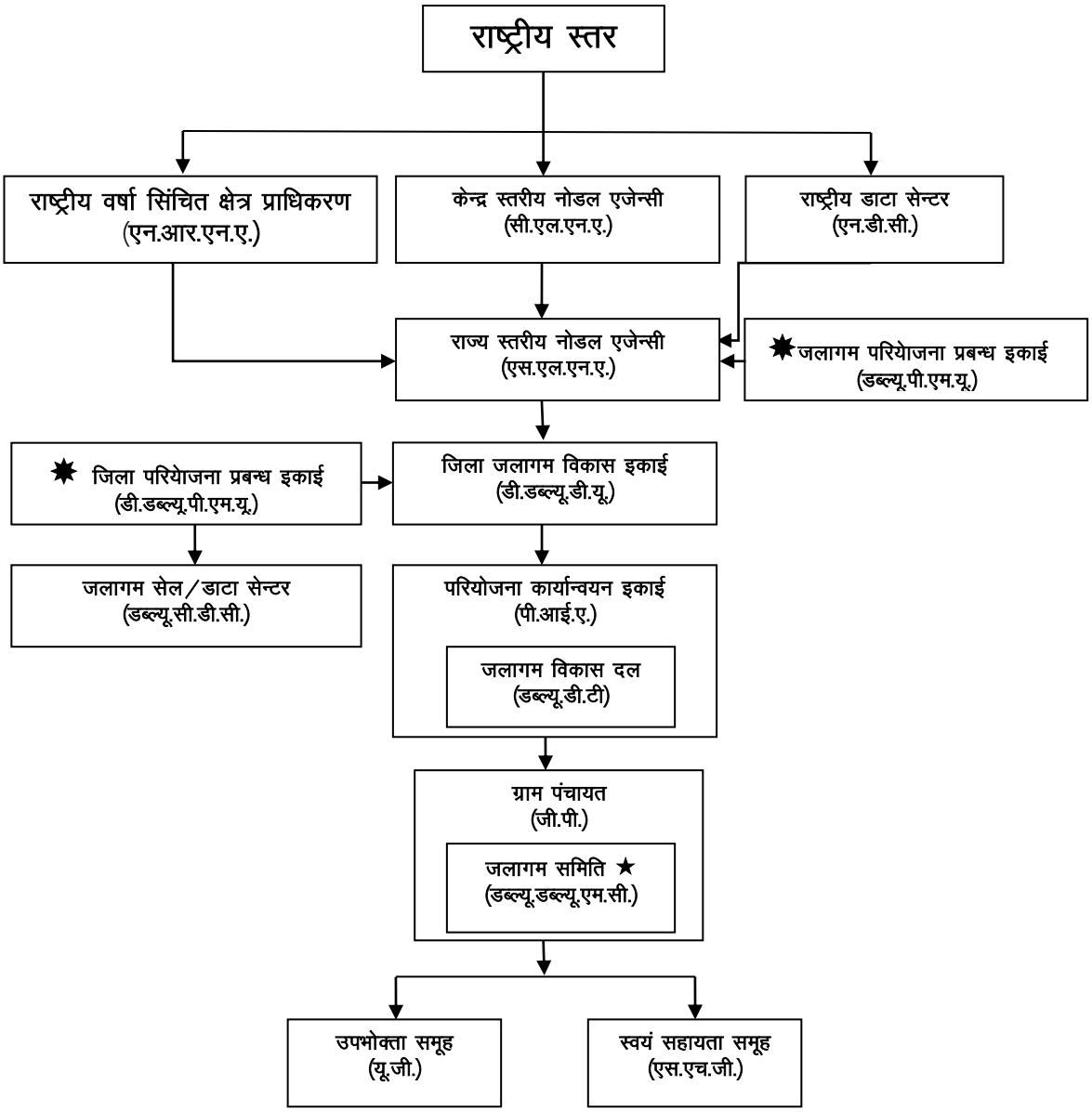

एन.आर.एन.ए.	– राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण	**डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.सी.**	– जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति
सी.एल.एन.ए.	– केन्द्र स्तरीय नोडल एजेन्सी	**डब्ल्यू.डी.टी.**	– जलागम विकास दल
एन.डी.सी.	– राष्ट्रीय डाटा सेन्टर	**जी.पी.**	– ग्राम पंचायत
एस.एल.एन.ए.	– राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी	**एस.एच.जी.**	– स्वयं सहायता समूह
डी.डब्ल्यू.डी.यू.	– जिला जलागम विकास इकाई	**यू.जी.**	– उपभोक्ता समूह
पी.आई.ए.	– परियोजना कार्यान्वयन इकाई		–
डब्ल्यू.पी.एम.यू.	– जलागम परियोजना प्रबन्ध इकाई		–
डी.डब्ल्यू.पी.एम.यू.	– जिला जलागम परियोजना प्रबन्ध इकाई		
✸	– सोसाइटी रजिट्रशन एक्ट–1860 के अनुसार पंजीकृत संस्था		

5.2. उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) फेज–2

परियोजना विकास का उद्देश्य (पी0डी0ओ0)

उत्तराखण्ड राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्राम समुदायों की सहभागिता के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा बारानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना।

परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थी

परियोजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की अनुमानित संख्या 55600 है। प्रस्तावित ग्राम्या–2 के अन्तर्गत 509 लक्षित ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक संसाधन आधार की वृद्धि तथा चिरन्तरता (sustainability) हेतु गतिविधियां की जायेंगी। ये ग्राम पंचायतें ग्राम्या –1 में चयनित ग्राम पंचायतों के आस–पास होंगी तथा भारत सरकार की 'जलागम विकास परियोजनाओं हेतु समान मार्गदर्शी सिद्धान्तों' के अनुरूप चयनित की जायेंगी। प्रस्तावित परियोजना में ग्राम्या–1 के अन्तर्गत गठित कृषक संघों के दीर्घावधिक संचालन को सुनिश्चित करने के साथ–साथ कृषि व्यवसाय विकास को गति प्रदान हेतु भी गतिविधियां की जायेंगी। परियोजना से निम्न समूह लाभान्वित हो सकेंगे।

- **मध्यम तथा लघु कृषक;** 1. जलागम उपचार, विशेष रूप से वर्षा जल संरक्षण तथा जल संग्रहण संरचनायें, जिनसे जल उपलब्धता में वृद्धि होगी; 2. बारानी कृषि विकास को सम्मिलित करते हुये कृषि औद्यानिकी तथा पशुधन क्षेत्रों में सहयोगी सेवाओं; तथा 3. कृषि व्यवसाय विकास तथा बाजार सम्पर्क गतिविधियों से लाभान्वित हो सकेंगे।
- **निर्बल वर्ग (सीमान्त भूमिधर, भूमिहीन, महिला तथा घुमन्तू समुदाय);** 1. मुख्यतः पशुधन तथा सेवा क्षेत्र में विकसित आय–अर्जक गतिविधियों; तथा 2. परियोजना की घुमन्तु समुदाय कार्ययोजना के अनुसार घुमन्तू समुदाय हेतु की जाने वाली सहयोगी गतिविधियों द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे।
- **स्थानीय संस्थान जैसे ग्राम पंचायतें;** परियोजना प्रबन्धन तथा सामाजिक जबावदेही के क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना (जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0) के निरूपण तथा क्रियान्वयन हेतु दक्षता प्राप्त कर सकेंगी। ग्राम्या–2 में सूक्ष्म जलागम में स्थित ग्राम पंचायतों की सीमा से बाहर स्थित क्षेत्रों (Inter GP Area) तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में वन पंचायतों के माध्यम से कार्य किये जायेंगे। परियोजना द्वारा समुदाय आधारित संगठनों जैसे जल उपयोगकर्ता समूह (UG), इच्छुक कृषक समूह (FIG) तथा कृषक संघ (FF) भी गठित किये जायेंगे।
- **जलागम विकास के प्रमुख संस्थागत हितभागी;** पार्टनर एन0जी0ओ0 (PNGO), फेसिलिटेटिंग एन0जी0ओ0 (FNGO), कृषि व्यवसाय सहयोगी संस्था (ABSO), छः जिला मुख्यालय, दो क्षेत्रीय मुख्यालय तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय; ग्राम्या–2 के माध्यम से किये जाने वाली विस्तारित ज्ञान/क्षमता प्रसार गतिविधियों द्वारा लाभान्वित होंगे।

परियोजना क्षेत्र

यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0–2, मध्य हिमालय में समुद्र सहत से 700 मी0 से 2700 मी0 ऊंचाई के मध्य स्थित क्षेत्रों हेतु निरूपित की गयी है। यह परियोजना जलागम प्रबन्धन की अवधारणा के साथ बारानी कृषि क्षेत्रों के विकास तथा उत्पादकता वद्धि पर केन्द्रित होगी। राज्य के उन क्षेत्रों में जहां भूक्षरण की अत्यधिक समस्या, गरीबी तथा अधारभूत सुविधाओं का आभाव है; परियोजना द्वारा विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन्हीं मानदण्डों के आधार पर 8 पर्वतीय जिलों; अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी की 509 ग्राम पचांयतें परियोजना के अन्तर्गत चयनित की गयी हैं। परियोजना क्षेत्र का विवरण निन्नानुसार है–

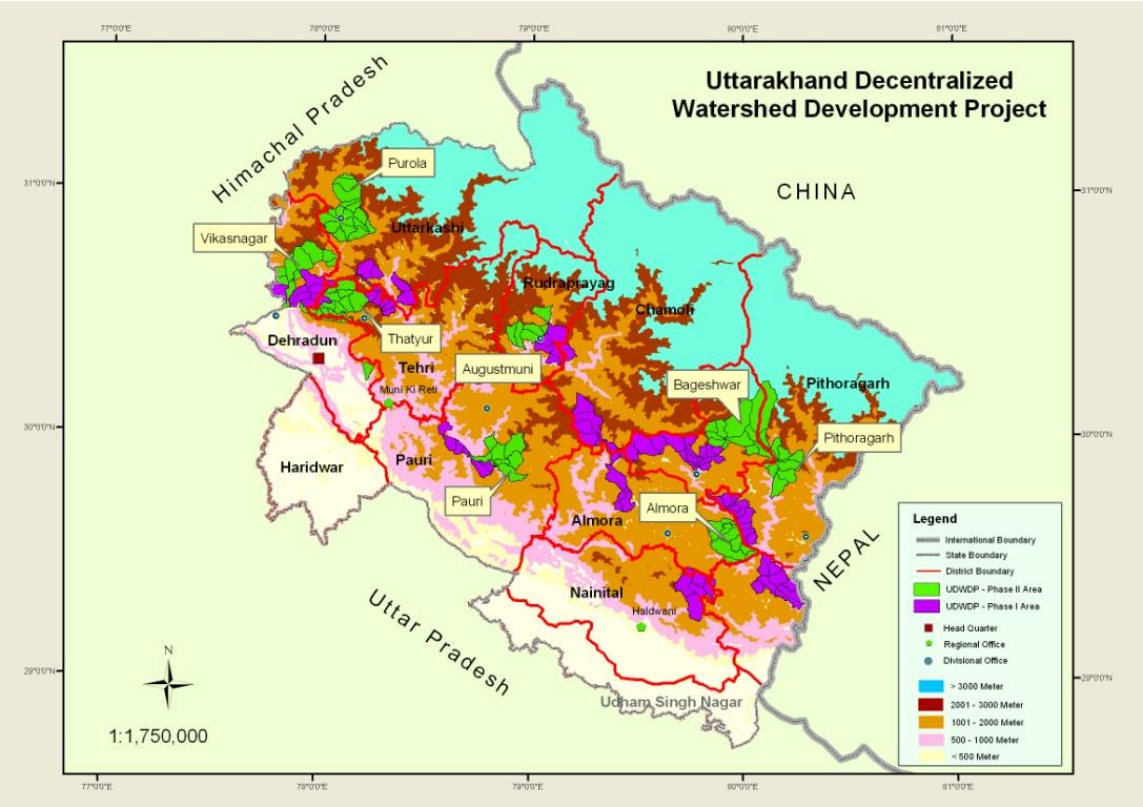

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (फेज–2) के अंतर्गत चयनित क्षेत्र का विवरण

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (है0)	वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल (है0)	कृषि क्षेत्र (है0)	परती क्षेत्र (है0)	ग्राम पंचायत		राजस्व ग्राम	
							संख्या	क्षेत्रफल (है0)	संख्या	क्षेत्रफल (है0)
अल्मोड़ा	धौलादेवी, भैंसियाछीना	9	28396	14987	12303	1106	**85**	24340.64	186	23835.00
उत्तरकाशी	मोरी, नौगांव, पुरोला	17	45103	31233	9727	4143	67	10268.67	119	10012.56
छेहरादून	कालसी, चकराता	9	29242	8778	8270	12194	49	23012.69	74	21925.85
टिहरी	जौनपुर	13	31730	11977	8306	11447	72	18641.86	151	18553.44
रूद्रप्रयाग	उखीमठ, जखोली, अगस्त्यमुनि	6	19201	11609	7449	143	65	8572.05	119	8429.67
पिथौरागढ़	मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग	9	25739	17206	6350	2383	59	22069.89	137	20568.19
बागेश्वर	कपकोट	11	55296	35666	6672	12920	48	33328.47	82	33964.28
पौड़ी	पोखड़ा, एकेश्वर	7	26713	9373	10980	6360	57	10549.00	185	10451.14
छेहरादून	रायपुर	1	2417	1365	789	95	7	2232.85	13	2232.85
योग–	**18**	**82**	**263837**	**142194**	**70846**	**50791**	**509**	**153016.11**	**1066**	**149972.984**

नोटः ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न है। सूची निदेशालय की वेवसाईट *www.wmduk.gov.in*, *www.gramya.in* पर भी उपलब्ध है।

पी0डी0ओ0 स्तर के परिणाम सूचक

परियोजना विकास के उद्देश्य (पी0डी0ओ0) सूचक हैं–

- जल स्रोतों में जल उपलब्धता वृद्धि
- जैवभार में वृद्धि
- बारानी क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि
- बारानी तथा सिंचित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि
- परियोजना से सीधे लाभान्वित परिवारों की संख्या

परियोजना अवधि

परियोजना 7 वर्ष 2014 से 2021 तक संचालित की जायेगी । परियोजना अवधि 3 चरणों मे विभाजित होगी; नियोजन चरण, क्रियान्वयन चरण, तथा समेकन चरण।

परियोजना विवरण

1. **परियोजना घटक** –

प्रस्तावित ग्राम्या–2 परियोजना 220,000 हे0 अकृष्य क्षेत्र में सूक्ष्म जलागम उपचार गतिविधियों पर केन्द्रित होगी जिसके माध्यम से समीपवर्ती 40,000 हे0 कृषि भूमि में उत्पादकता वृद्धि हो सकेगी। प्रस्तावित परियोजना के चार प्रमुख घटक होंगे; 1). सामाजिक जागरूकता तथा सहभागी जलागम नियोजन, 2). जलागम उपचार तथा बारानी क्षेत्र विकास, 3). आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि तथा 4). ज्ञान/जानकारी प्रबन्धन तथा परियोजना समेकन।

घटक–1 सोशल मोबिलाईजेशन तथा सहभागी जलागम नियोजन (यू0एस0 डालर 30.0 मिलियन जिसमें IDA यू0एस0 डालर 13.9 मिलियन) के अन्तर्गत ग्राम समुदाय द्वारा जी0पी0डब्ल्यू0डी0 के निरूपण तथा

समन्वय हेतु क्षमता प्राप्त करने के साथ–साथ प्रभावी भू–उपयोग में वृद्धि, जल संसाधन प्रबन्धन, कृषि क्षेत्र विकास तथा आय अर्जन हेतु गतिविधियां की जाएगी।

घटक–2 जलागम उपचार तथा बारानी क्षेत्र विकास (यू0एस0 डालर 90.3 मिलियन जिसमें IDA (यू0एस0 डालर 72.3 मीलियन) इस घटक के अन्तर्गत; **(अ)** जलागम उपचार गतिविधियां 1. चैक डैम, तालाब, सिंचाई गूल/टैंक तथा वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण व पुनरूद्धार, 2. कृषि टैरेस तथा खेतों की वानस्पतिक मेढ़ों की मरम्मत, 3. ग्रामीण सड़क, छोटे पुल/पुलिया का जीर्णोद्धार तथा **(ब)** जल स्रोतों के दीर्घावधिक प्रबन्धन की गतिविधियां जिसमें 1.मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण/पुनरोद्धार 2. घास रोपण़ 3. वानिकी गतिविधियां 4. वैकल्पिक उर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन आदि गतिविधियां की जाएगी। इस घटक के दो उप–घटक होगें; 1. जलागम उपचार तथा जल स्रोत निरन्तरता तथा 2. बारानी कृषि विकास।

उपघटक–2a जलागम उपचार तथा जल स्रोत निरन्तरता (यू0एस0 डालर 78.5 मिलियन जिसमें IDA यू0एस0 डालर 62.8 मिलियन) इस उपघटक में लगभग 220,000 हेक्टेयर अकृष्य क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में वृद्धि हो सकेगी। साथ ही लक्षित ग्राम पंचायतों में लगभग 7000 हेक्टेयर बारानी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधाऐं भी उपलब्ध हो सकेंगी। इस उपघटक में **GPWDP** के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जा सकेगें– जलागम उपचार गतिविधियां 1. चैक डैम, तालाब, सिंचाई गूल/टैंक तथा वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण व पुनरोद्धार, 2. कृषि टैरेस तथा खेतों की वानस्पतिक मेढ़ों की मरम्मत, 3. ग्रामीण सड़क, छोटे पुल/पुलिया का जीर्णोद्धार। **GPWDP** के अन्तर्गत जल स्रोत निरन्तरता के लिए जल स्रोतों के दीर्धावधिक प्रबन्धन हेतु; 1.मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण/पुनरोद्धार (यथा–रीचार्ज पिट, तालाब, वानस्पतिक संरचनाऐं, वानस्पतिक ट्रेंच, स्टोन तथा क्रेट वायर चेक डेम, रिटेनिंग वाल, स्पर तथा निकास नालिकायें), 2.घास रोपण (नेपियर तथा अन्य स्थानीय घास प्रजातियां), 3. वानिकी गतिविधियां (वृक्षारोपण तथा नर्सरी स्थापना), 4. वैकल्पिक उर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन (यथा– बायो गैस संयंत्र, सोलर कुकर, घराट तथा पिरूल से कोयला निर्माण), आदि गतिविधियां की जाएगी।

उपघटक–2b बारानी क्षेत्र विकास (यू0एस0 डालर 11.8 मिलियन जिसमें IDA यू0एस0 डालर 9.5 मिलियन) इस उप घटक के अन्तर्गत बारानी तथा सिंचित दोनो क्षेत्रों के लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराये जायेगें, तथा विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। बारानी क्षेत्रों में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ साथ वर्षा जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों तथा समेकित फसल प्रबन्धन तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में परियोजना द्वारा फसल विविधिकरण के अन्तर्गत उच्च उत्पादक बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन, अभिनव फसल तकनीकों का अंगीकरण, पालीहाउस व पालीटनल की स्थापना, सिंचित मक्का, गेहूं व अन्य फसलों की उत्पादकता वृद्धि तथा जैव उर्रवरकों व वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग आदि गतिविधियों को

प्रोत्साहित किया जायेगा। परियोजना द्वारा औद्यानिकी व पशु धन क्षेत्रों में उद्यान विकास/पुनरोद्धार, चारा उत्पादन तथा पशु नस्ल सुधार गतिविधियां की जाऐंगी।

घटक–3 आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि (यू0एस0 डालर 18.7 मिलियन, जिसमें IDA यू0एस0 डालर 14.9 मिलियन), इस घटक में उच्च उत्पादक फसलों के व्यवसाय को विकसित किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होगा 1. इच्छुक कृषक समूहों का गठन, उनका क्षमता विकास तथा कृषक समूहों का कृषक संघों (Farmer Federation) में समेकन, 2. कृषि व्यवसाय योजनाओं का विकास तथा विपणन कार्यनीति। इस घटक के अंतर्गत निर्बल समूहों को आय–अर्जक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। घटक के अंतर्गत कृषक संघों को दीर्धावधिक व्यवसाय के लिए योजना तथा प्रबन्धन क्षमताओं को विकसित करने में सहायता प्रदान की जायेगी। इस घटक के तीन उप घटक होंगेः– 1) कृषि व्यवसाय सहयोग; 2) निर्बल वर्गों को वित्तीय सहायता; 3) ग्राम्या–1 की गतिविधियों का समेकन

उपघटक–3a कृषि व्यवसाय सहयोग (यू0एस0 डालर 9.1 मिलियन, जिसमें IDA यू0एस0 डालर 7.2 मिलियन) इस उपघटक के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के लक्षित कृषकों को उच्च उत्पादक फसलों की व्ययवसाय योजना के विकास हेतु सहयोग दिया जाएगा। इस उपघटक में निम्न गतिविधियां सम्मिलित होंगी–1 इच्छुक कृषक समूह (FIG) तथा उनके कृषक संघों (FF) के साथ साथ जल उपयोगकर्ता समूहों का गठन; 2. कृषि व्ययवसाय योजना व सप्लाई चेन के विकास हेतु FIG तथा FF का क्षमता विकास, इनपुट सप्लाई (यथा– गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन), तथा 3. विपणनोन्मुखी प्रसार सेवायें तथा विपणन सहयोग, मार्केट इन्टेलीजेन्स तथा ब्राण्ड निर्माण। परियोजना द्वारा स्थानीय एन.जी.ओ. के माध्यम से कृषि व्ययवसाय में सहयोग दिया जाएगा।

उपघटक–3b निर्बल वर्गो को वित्तीय सहायता (यू0एस0 डालर 7.2 मिलियन, जिसमें IDA यू0एस0 डालर 5.8 मिलियन), परियोजना के इस उपघटक में भूमिहीन, निर्बल/निराश्रित महिला तथा घुमन्तू समुदाय को सम्मिलित करते हुए; निर्बल वर्ग के वे लोग जो परियोजना के घटक–2 के अन्तर्गत सीधे तौर पर परियोजना से लाभान्वित नही हो सके; के लिए स्वरोजगार गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना में घुमन्तू समुदाय के लिए विशेष रूप से बनायी गई कार्य योजना में पशुधन क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई हैं।

उपघटक–3c ग्राम्या–1 की गतिविधियों का समेकन (यू0एस0 डालर 2.4 मिलियन, जिसमें IDA यू0एस0 डालर 1.9 मिलियन) इस उपघटक के अन्तर्गत ग्राम्या–1 में गठित 27 कृषक सघों को स्थापित उत्पादन व्ययवसाय के रूप में विकसित करने हेतु इन संघों की व्यवसाय योजना तथा प्रबन्धन क्षमता का सुदृढीकरण किया जाएगा।

घटक–4 ज्ञान/जानकारी प्रबन्धन तथा परियोजना समन्वयन (यू0एस0 डालर 31.0 मिलियन जिसमें IDA यू0एस0 डालर 20.1 मिलियन), इस घटक के अन्तर्गत सभी परियोजना हितभागियों का परियोजना क्रियान्वयन व प्रबन्धन हेतु संस्थागत क्षमता विकास तथा ज्ञान/जानकारी प्रबन्धन किया जायेगा। साथ

ही जलागम प्रबन्धन निदेशालय स्तर पर एक सैन्टर ऑफ एक्सीलैन्स भी विकसित किया जायेगा। परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन, देखरेख, मुल्यांकन तथा अनुश्रवण भी इसी घटक में सम्मिलित है। इस घटक के दो उप–घटक हैः– 1. ज्ञान/जानकारी प्रबन्धन 2. परियोजना समन्वय।

उपघटक–4a जानकारी प्रबन्धन (यू0एस0 डालर 11.7 मिलियन जिसमें IDA यू0एस0 डालर 9.3 मिलियन) इस उपघटक के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां की जायेगीं–1. लक्षित क्षेत्रीय संस्थानों (ग्राम पंचायत, वन पंचायत, जल उपयोग कर्ता समूह), राज्य स्तरीय हितभागियों (एन.जी.ओ. ,विश्वविद्यालय व शोघ संस्थान) तथा भारत सरकार के कार्यक्रमों (समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम **IWMP,** महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम **MNEREGA**) को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण तथा जानकारी प्रसार गतिविधियां; 2. जलागम प्रबन्ध निदेशालय में एक सेन्टर ऑफ एक्सीलैन्स की स्थापना, जिसे सहभागी जलागम विकास, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, बारानी कृषि विकास तथा कृषि व्ययवसाय विकास हेतु एक ज्ञान/जानकारी के स्रोत की तरह उपयोग किया जा सकेगा; तथा 3. ग्राम्या–2 के विभिन्न हितभागियों के मध्य सूचना तथा शिक्षा का आदान–प्रदान। इस उपघटक के अन्तर्गत परियोजना गतिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण तथा सूक्ष्म जलागम स्तर पर विस्तृत आधारभूत आंकडों का एक डाटा बेस तैयार करने हेतु **ICT** आधारित प्रबन्धन सूचना तंत्र **MIS** भी स्थापित किया जाएगा। जिसके द्वारा सहभागी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन **(PME)**, सोशल ऑडिट तथा शिकायत निवारण तंत्र के उपयोग से ग्राम पंचायतों तथा वन पंचायतों की समाजिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी।

उपघटक–4b परियोजना समन्वय (यू0एस0 डालर 19.3 मिलियन जिसमें IDA यू0एस0 डालर 10.8 मिलियन) इस उपघटक के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन के लिये आवश्यक प्रबन्धन गतिविधियों का वित्त पोषण किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होगा (i) परियोजना क्रियान्वयन, प्रबन्धन तथा देख–रेख हेतु व्यय की जाने वाली वृद्धिशील धनराशि; (ii) शिकायत निवारण प्रणाली; (iii) वित्तीय प्रबन्धन तथा वार्षिक वाह्य मुल्यांकन (आडिट); (iv) संविदा स्टाफ (सलाहकार सेवाओं के अतिरिक्त) का वृद्धिशील मानदेय, जिसमें परियोजना में तैनात सरकारी सेवकों का वेतन सम्मिलित नहीं होगा तथा (v) परियोजना से सम्बन्धित सभी सूचनाओं का प्रसार ।

2. परियोजना वित्त पोषण

सात वर्षो की इस परियोजना की कुल लागत **यू0एस0 डालर 170.0 मिलियन** है जिसमें विश्व बैंक (**यू0एस0 डालर 121.2 मिलियन**), उत्तराखण्ड सरकार (**यू0एस0 डालर 45.8 मिलियन**) तथा आभार्थी अंशदान (**यू0एस0 डालर 3.0 मिलियन**) सम्मिलित है। घटकवार वित्त पोषण का विवरण निम्नानुसार हैः

परियोजना घटक	परियोजना लागत		आईडा अंश		राज्यांश		लाभार्थी अंश	
	US$	%*	US$	%**	US$	%**	US$	%**

1. सामाजिक जागरूकता तथा सहभागी जलागम नियोजन	30.0	17.6	13.9	46.4	16.1	53.6	0.0	0.0
2. जलागम उपचार तथा बारानी क्षेत्र विकास	90.3	53.1	72.3	80.0	15.1	16.7	3.0	3.3
3. आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि	18.7	11.0	14.9	80.0	3.7	20.0	0.0	0.0
4. ज्ञान/ जानकारी प्रबन्धन तथा परियोजना समन्वयन	31.0	18.2	20.1	64.8	10.9	35.2	0.0	0.0
कुल परियोजना लागत	**170.0**	**100**	**121.2**	**71.3**	**46.0**	**27.0**	**3.0**	**1.7**

*कुल परियोजना लागत का प्रतिशत
** घटकवार लागत का प्रतिशत

3. वित्तीय प्रबन्धन

परियोजना क्रियान्वयन संस्था जलागम प्रबन्धन निदेशालय होगी। परियोजना निदेशक के सहायक के रूप मे मुख्य वित्त अधिकारी परियोजना के वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी मामलों के उत्तरदायी होगें। परियोजना हेतु शासन द्वारा बजट हेड़ निर्धारित किया गया है। परियोजना हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जलागम प्रबन्धन निदेशालय को बजट आवंटित किया जाएगा जिसे जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा परियोजना निदेशक/उप परियोजना निदेशकों को अवमुक्त किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा साख सीमा निर्गत की जायेगी। साख सीमा के अन्तर्गत उप परियोजना निदेशकों द्वारा परियोजना कार्यो हेतु धनराशि चैक के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसे ग्राम पंचायत के जलागम कार्यो हेतु गठित कोष में जमा किया जायेगा। उक्त धनराशि से ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्यो के सापेक्ष भुगतान किया जायेगा। स्टाफ तथा आपरेटिंग कास्ट हेतु धनराशि जलागम प्रबन्धन निदेशालय व उप परियोजना निदेशक स्तर पर राज्य ट्रेजरी के माध्यम से उपयोग की जाएगी। जिन प्रभागों में पार्टनर एन0जी0ओ0 कार्यरत होगे उन प्रभागों की ग्राम पंचायतों को धनराशि का भुगतान सीधे जलागम प्रबन्धन निदेशालय द्वारा उक्तानुसार किया जाएगा।

बजट हेड़वार लेखा का रखरखाव राज्य ट्रेजरी में किया जाएगा। आवंटन/व्यय हेतु सम्पूर्ण लेखांकन राज्य ट्रेजरी द्वारा ही किया जाएगा (ग्राम पंचायत अनुदान विवरण को छोड़कर)। ग्राम पंचायतों को दिये गये घटकवार व्यय तथा अग्रिम धनराशि का विवरण निदेशालय तथा प्रभागों द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा। इन कार्यालयों द्वारा परियोजना व्यय के रिकार्ड हेतु अलग से एक कैश बुक का प्रयोग किया जाएगा। परियोजना कार्यालयों द्वारा राज्य ट्रेजरी के साथ व्यय का मासिक मिलान किया जाएगा। परियोजना व्यय Interim unaudited financial reports (IUFRs) के आधार पर किया जा सकेगा। IUFRs को रिपोर्टिंग तथा वित्तीय अनुश्रवण हेतु भी प्रयोग किया जा सकेगा। विश्व बैंक को IUFRs, त्रैमासिक आधार पर, प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

आडिटर जनरल (AG) उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा परियोजना के वित्तीय विवरण; Project Financial Statement (PFS) का वार्षिक आडिट किया जाएगा। PFS का आडिट AG द्वारा विश्व बैंक तथा सी0ए0जी0 की अनुशंसा से निरूपित टी0ओ0आर0 के अनुसार किया जाएगा। जलागम प्रबन्धन निदेशालय, प्रभाग, पी0एन0जी0ओ0 तथा सैम्पल ग्राम पंचायतों में सभी परियोजना गतिविधियों का आन्तरिक मुल्यांकन, परियोजना का अभिन्न अंग होगा। परियोजना कार्यो का आन्तरिक मुल्यांकन बैंक द्वारा अनुशंसित टी0ओ0आर0 के अनुसार एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फार्म द्वारा किया जाएगा।

परियोजना हेतु एक designated account का रखरखाव रिजर्व बैंक आफ इंडिया मे किया जाएगा जिसका संचालन कंट्रोलर एड एकाउन्ट एण्ड आडिट (CAA&A) के द्वारा विश्व बैंक की कार्य नीति के अनुरूप किया जाएगा। परियोजना संचालन हेतु एक बार 6 मीलियन यू0एस0 डालर अग्रिम प्रदान किया जाएगा जिसका समायोजन परियोजना समाप्ति के समय किया जा सकेगा। **परियोजना कार्य नीति के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना (GPWDP) के अन्तर्गत कियान्वित गतिविधियां उप परियोजना के अन्तर्गत आयेगी।** परियोजना में भुगतान हेतु दो श्रेणियां निश्चित की गई है:

1. उप परियोजनाओं के अन्तर्गत **(Sub Project)** वस्तुएं, कार्य, गैर परामर्शदायी सेवाएं तथा सलाहकार सेवांए, प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा वृद्धिशील कार्य लागत।
2. उपपरियोजनाओं के अलावा **(Other than Sub Project)**वस्तुएं, कार्य, गैर परामर्शदायी सेवाएं तथा सलाहकार सेवांए, प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा वृद्धिशील कार्य लागत।

परियोजना लागत का कुल 80 प्रतिशत (राजकीय स्टाफ को छोडकर) विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

श्रेणियां	कुल आंवटित धनराशि (अमेरिकी डॉलर के समतुल्य)	विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि (समस्त करों सहित)
(1) उप परियोजनाओं के अन्तर्गत **(Sub Project)** वस्तुएं, कार्य, गैर परामर्शदायी सेवाएं तथा सलाहकार सेवांए, प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा वृद्धिशील कार्य लागत।	73.52	80%
(2) उपपरियोजनाओं के अलावा **(Other than Sub Project)**वस्तुएं, कार्य, गैर परामर्शदायी सेवाएं तथा सलाहकार सेवांए, प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा वृद्धिशील कार्य लागत।	47.68	80%
कुल परियोजना लागत	**121.20**	

4. प्रोक्योरमेंट व्यवस्था–

परियोजना के अन्तर्गत सभी प्रोक्योरमेंट विश्व बैंक की 'मार्गदर्शिका; Procurement under IBRD Loans & IDA credits' जनवरी 2011, 'मार्गदर्शिका;Selection and Employment of consultants by World Bank Borrowers' जनवरी 2011 तथा परियोजना अनुबन्ध व वित्तीय अनुबन्ध मे निर्धारित प्राविधानों; जिनका विवरण परियोजना कार्य दिग्दर्शिका (Operational Manual) तथा प्रोक्योरमेंट प्लान में भी दिया गया है; के अनुसार किये जायेंगे।

प्रोक्योरमेंट कार्मिक

वर्तमान परियोजना हेतु कार्मिकों की व्यवस्था ग्राम्या–1 के समय पी0एम0यू0 में कार्यरत कार्मिकों के अनुरूप ही होगी। ग्राम्या–1 के अनुसार ही ग्राम्या–2 में प्रोक्योरमेंट सैल के अध्यक्ष परियोजना निदेशक होगें। ग्राम्या–2 हेतु परियोजना प्रोक्योरमेंट मैनुअल तथा कम्यूनिटि प्रोक्योरमेंट मैनुअल संसोधित कर विश्व बैंक तथा शासन द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं।

प्रोक्योरमेंट प्लान

परियोजना हेतु प्रथम 18 माह का प्रोक्योरमेंट प्लान एप्रेजल मिशन के दौरान विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना अन्तर्गत मुख्य प्रोक्योरमेंट पी0एन0जी0ओ0 तथा एफ0एन0जी0ओ0 के प्रस्तातिव हैं जिनका टी0ओ0आर0 विश्व बैंक तथा शासन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। 2 पी0एन0जी0ओ0 तथा 2 एफ0एन0जी0ओ0 के प्रस्तावित प्रोक्योरमेंट हेतु Request for Expressions of Interest (REOI) दिनांक 10 नवम्बर 2013 को प्रकाशित की जा चुकी है।

क्रियान्वयन

प्रस्तावित ग्राम्या–2 का क्रियान्वयन, राज्य जलागम प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा किया जायेगा। उत्तराखण्ड, भारत के उन 8 राज्यों में से एक है जिनमें जलागम तथा बारानी कृषि विकास गतिविधियों हेतु एक समर्पित जलागम निदेशालय की स्थापना की गयी है। ग्राम्या–1 के अन्तर्गत जलागम प्रबन्ध निदेशालय ने एक जटिल, बहुआयामी परियोजना के प्रबन्धन की पर्याप्त क्षमता विकसित की है जिनमें; प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, सिंचाई, कृषि, औद्यानिकी, पशुधन, वानिकी, पर्यावरण, सामाजिक विकास, कृषि व्यवसाय व मूल्य श्रृखला विकास, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, वित्तीय प्रबन्धन तथा प्रोक्योरमेंट आदि क्षेत्रों में पर्याप्त विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा भारत सरकार वित्त पोषित समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) भी संचालित किया जा रहा है, इसलिये दोनो परियोजनाओं के मध्य तालमेल को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायतों तथा कृषक संघों द्वारा ग्राम पंचायत तथा सूक्ष्म जलागम स्तर पर परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा। जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण तथा कृषि व्यवसाय विकास हेतु सामाजिक जागरूकता के लिये क्षेत्रीय एन0जी0ओ0 को अनुबन्धित किया जायेगा। जलागम प्रबन्ध निदेशालय राष्ट्रीय संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों जैसे इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई0आई0टी0), नेशनल स्कूल ऑफ

हाइड्रोलॉजी तथा जे0बी0पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर सकता है।

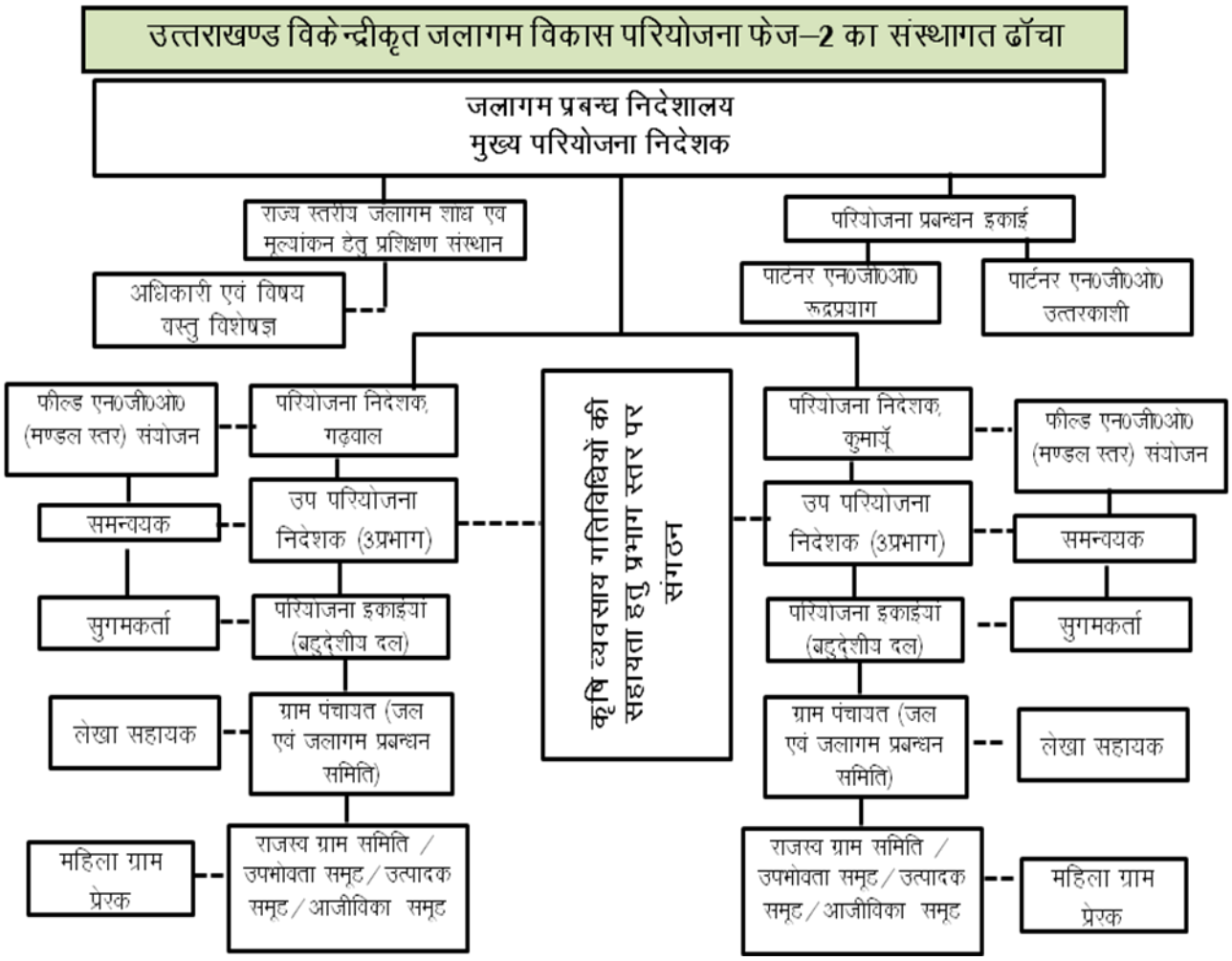

5.3 एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

सहभागी जलागम विकास (जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा कियान्वित घटक)

राज्य स्तर पर समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के संचालन का उत्तरदायित्व ग्राम्य विकास विभाग का है। इस परियोजना की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट परियोजना की समन्वयन समिति द्वारा तैयार कर वित्त विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई का स्वरूप

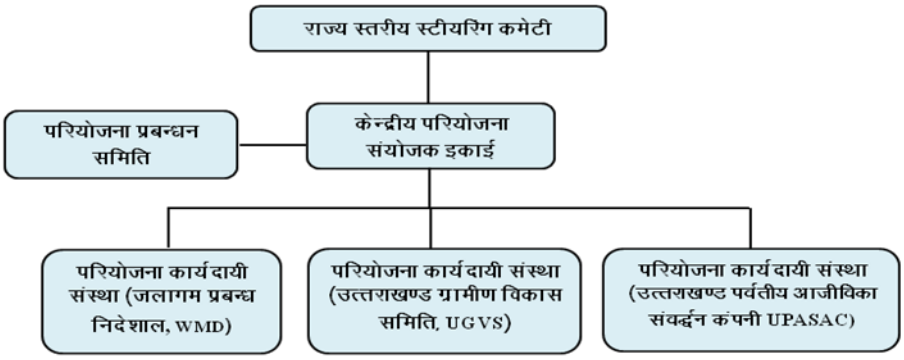

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना विकास का उद्देश्य (पी0डी0ओ0)

परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जिलों में चिरन्तर जीविका के अवसरों के माध्यम से गरीबी को कम करना है। इस हेतु परियोजना में दो तरह की नीतियाँ अपनाई जायेंगी जिसमें से एक ओर खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकसित किया जायेगा, जिसमें उन्नत तकनीकी को अपनाते हुये परम्परागत खेती को तथा पशुधन का विकास किया जायेगा। इसके साथ–साथ अतिरिक्त उत्पाद को विपणन हेतु व्यवस्थायें की जायेंगी। दूसरी ओर नकदी फसलों को बढ़ावा देते हुये नकद आय में वृद्धि के प्रयास किये जायेंगे।

खाद्य उत्पादन की वृद्धि हेतु जलागम विकास के माध्यम से जल एवं भूमि संरक्षण कार्य के साथ–साथ चारा एवं पंचायती वनों के विकास तथा औषध एवं संगध पौधों के उत्पादों के विपणन पर भी बल दिया जायेगा। यह परियोजना अन्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं से समन्वय रखेगी। परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत उत्पादक समूहों तथा आजीविका संगठनों को प्रेरित एवं संगठित कर स्थानीय उत्पाद को विकसित कर विपणन आधारित उत्पादन पद्धति हेतु सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त उत्पादक समूहों तथा संगठनों को कृषि उत्पादन गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुये आर्थिक संसाधन उपलब्धता करायेगी।

परियोजना प्रमुख तीन प्रमुख घटक एवं कार्यदायी संस्थायें निम्न प्रकार हैं:–

क्रमांक	परियोजना घटक	कार्यदायी संस्था
1	खाद्य सुरक्षा एवं अजीविका वृद्धि (Food Security and Livelihood Enhancement)	उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति (यू0जी0वी0एस0)
2	सहभागी जलागम विकास (Participatory Watershed Development)	जलागम प्रबन्ध निदेशालय
3	आजीविका वित्तपोषण (Livelihood Enhancement)।	उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका सम्बर्द्धन कंपनी (उ.प.आ.स.क.)

सहभागी जलागम विकास घटक का उद्देश्य

इस घटक का उद्देश्य चयनित सूक्ष्म जलागमों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि एवं स्थायी कृषि का संवर्द्धन करना और निर्मित उत्पादों की बाजार तक पहुंच विकसित करना है।

इस घटक के कार्यक्रमों को जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा संचालित किया जायेगा। जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, विकसित करना है तथा चिरन्तरता के दृष्टिकोण से चयनित जलागम क्षेत्रों के परिवारों की आय वृद्धि करना है। इस घटक के अन्तर्गत समुदाय की सहभागिता से भूमि, जल और जैव विविधता की उत्पादक क्षमता को विकसित करना, खाद्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कृषि उत्पादन में वृद्धि, निर्बल वर्ग के परिवारों को आजीविका हेतु अवसर प्रदान करना तथा समाज के सभी वर्गो को प्रतिनिधित्व देते हुये संस्थागत विकास करना है।

परियोजना क्षेत्र

प्रदेश के जनपद पौड़ी, नैनीताल एवं चम्पावत जनपदों के सात विकासखण्डों के अंतर्गत 22 सूक्ष्म जलागमों के 70,200 हैक्टर में किया जाना है, जिससे 362 राजस्व ग्रामों के लगभग 20,000 परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के इस घटक के अंतर्गत IFAD द्वारा रू0 164.44 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

समेकित आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्र का विवरण

ज्नपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (है0)	वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है0)	कृषि क्षेत्र (है0)	प्रती क्षेत्र (है0)	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या
पौड़ी	पाबौ,एकेश्वर	5	16470	11092	4019	1359	54	123	5188	23105
नैनीताल	बेतालघाट,रामगढ़	13	32713	18902	8312	5262	102	135	10260	53603
चम्पावत	बाराकोट, पाटी, चम्पावत	4	21011	12613	5678	45	59	104	4546	22735
योग–		**22**	**70194**	**42607**	**18009**	**6666**	**215**	**362**	**19994**	**99443**

नोटः ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न है। सूची निदेशालय की वेवसाईट *www.wmduk.gov.in* पर भी उपलब्ध है।

एकीकृत आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत सहभागी जलागम विकास परियोजना क्षेत्र

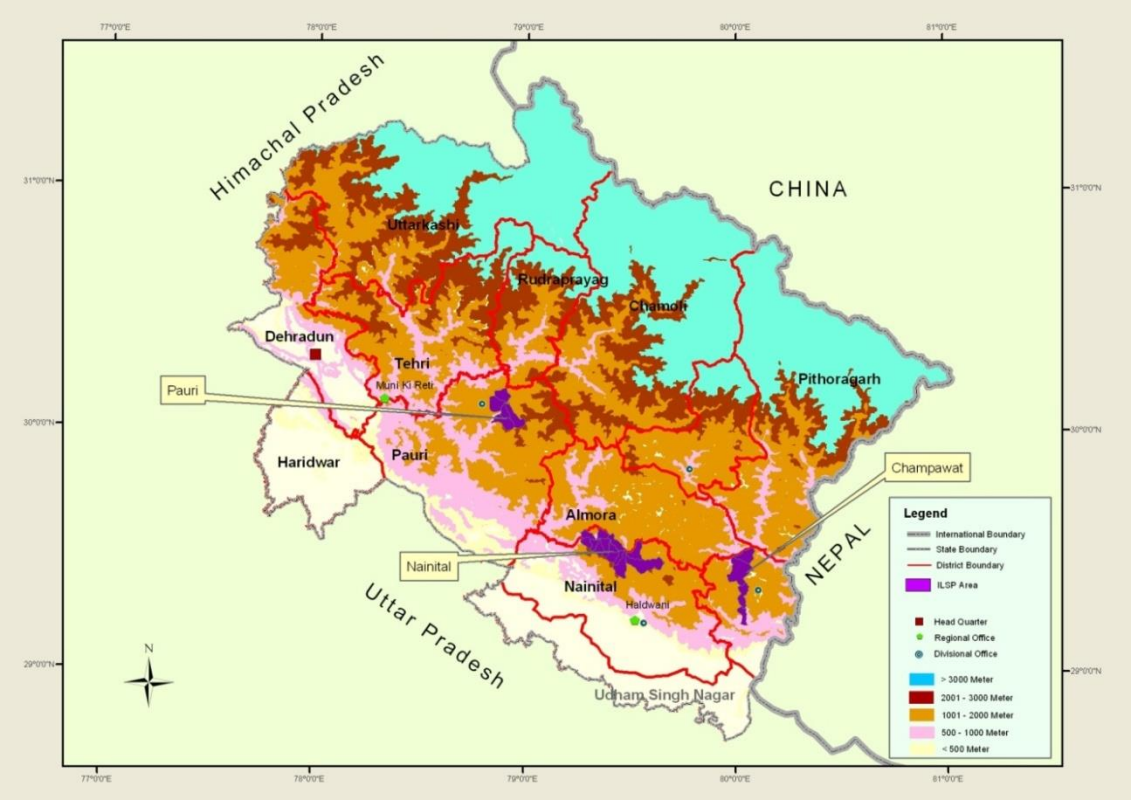

सहभागी जलागम विकास घटक के अन्तर्गत निम्न उपघटक सम्मिलित हैंः–

(1) सहभागी जलागम प्रबन्धन

(2) खाद्य सुरक्षा वृद्धि हेतु समर्थन

(3) आजीविका बढ़ाने हेतु समर्थन

(4) संस्थागत सुदृढ़ीकरण

(1) **सहभागी जलागम प्रबन्धन** – इस घटक के अन्तर्गत सामाजिक संचेतना तथा सहभागी नियोजन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार चयन किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जलागम विकास के कार्य को समुदाय द्वारा नियोजन, क्रियान्वयन, उपयोग तथा प्रबन्धन किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत की जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर बजट निर्धारित किया जायेगा। जलागम प्रबन्धन के अंतर्गत जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य, जल संचय संरचनाओं, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, पशुधन विकास एवं गैर परम्परागत ऊर्जा संयत्रों की स्थापना इत्यादि के कार्य क्रियान्वित किये जायेंगे।

(2) **खाद्य सुरक्षा वृद्धि हेतु समर्थन–** परियोजना के अंतर्गत कृषि उत्पादक समूहों को विकसित किया जायेगा, उन्हें कृषि सम्बन्धित आधुनिक तकनीकों एवं कृषिकरण के उपायों से अवगत कराया जायेगा तथा कृषि व्यवसाय को विकसित करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विनिर्माण और विपणन सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। परियोजना क्षेत्र में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन हेतु प्रसंस्करण केन्द्रों का भी निर्माण प्रस्तावित है।

(3) **आजीविका बढ़ाने हेतु समर्थन–** निर्बल वर्ग के व्यवसाय समूह विकसित कर इन समूहों की व्यवसाय वृद्धि हेतु क्षमता विकास के साथ–साथ वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी। इन समूहों का ग्राम एवं विकासखण्ड स्तर पर संघीकरण किया जाना भी प्रस्तावित है। कृषि उत्पादक समूह एवं निर्बल वर्ग के व्यवसाय समूहों को आजीविका सामुदायिक स्तर पर विकसित कर बाजार विपणन की सुविधायें, ऋण, प्रोद्योगिकी इत्यादि सुविधायें उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(4) **संस्थागत सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं ज्ञान प्रबन्धन** – इस उप घटक के अंतर्गत परियोजना के विभिन्न हितभागियों का क्षमता विकास प्रस्तावित है। परियोजना में पारदर्शिता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु परियोजना सम्बन्धित क्रियाकलापों का सूचना, शिक्षा एवं संचार के कार्य भी प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत एक व्यापक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जायेगी। अनुश्रवण सूचकों में; 1. परिणाम रूपरेखा (Result framework), 2. प्रबन्धन सूचना तंत्र (एम0आई0एस0) जिसमें भौतिक परिणाम तथा प्रभाव शामिल होंगे, 3. सहभागी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (पी0एम0ई0) तथा 4. वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन सम्मिलित होंगे। परियोजना हेतु MIS निर्मित किया जायेगा जिसमें यथासमय गुणवत्तायुक्त आंकड़ो का संकलन किया जा सकेगा। यह एम0आई0एस0 प्राप्त परिणामों तथा प्रभावों को उपग्रह से प्राप्त चित्र में दर्शाने के साथ–साथ इसे संकलित संख्यात्मक आंकडों से ऑनलाइन लिंक कर सकता है। MIS द्वारा विकसित ऑकडें तथा मानचित्र, प्रभाग तथा राज्य स्तर पर नियोजन व निर्णय लेनें में सहायक सिद्ध होगें। परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन रणनीति, लक्ष्य प्राप्ति एवं परिणामों के सम्बन्ध में अभिलेखीकरण किया जायेगा।

पी0डी0ओ0 स्तर के परिणाम सूचक
परियोजना विकास के उद्देश्य (पी0डी0ओ0) सूचक हैं–

- परियोजना के अंतर्गत चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में भू–क्षरण में कमी एवं जल उपलब्धता में वृद्धि– 10 प्रतिशत वानस्पतिक क्षेत्र एवं जैव उत्पादकता में वृद्धि,

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि– 75 प्रतिशत उत्पादक सूमहों द्वारा नवीन तकनीकी का अपनाया जाना, शत–प्रतिशत उत्पादकता समूह के सदस्यों द्वारा 15 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि,

- कृषि एवं गैर कृषि व्यवसाय में वृद्धि– 20 प्रतिशत उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा नये विपणन तथा उत्पादक के प्रणाली तथा 20 प्रतिशत निर्वल वर्ग समूहों द्वारा अपने व्यवसाय में आय–वृद्धि

- जलागम विकास के सीख का विस्तार– 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का विकसित प्रदर्शन, जलागम विकास की सीख का अभिलेखीकरण तथा मीडिया एवं बैठकों द्वारा प्रचार–प्रसार।

परियोजना प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन व्यवस्थायें :

भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग केन्द्र स्तर पर नोडल एजेन्सी है, जोकि परियोजना की प्रगति समीक्षा करेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। सचिव, ग्राम्य विकास जिसके सदस्य सचिव हैं। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों के सचिव, मुख्य महाप्रबन्धक नवार्ड तथा सी0ई0आई0 इन्डस्ट्री के अध्यक्ष समिति के सदस्य हैं।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय स्तर पर ''सहयोगी जलागम विकास'' घटक के संचालन हेतु पृथक सोसाइटी ''उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई'' का गठन किया गया है। जिसकी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष मुख्य परियोजना निदेशक एवं सदस्य सचिव परियोजना निदेशक नामित हैं।

ग्राम पंचायतों तथा कृषक संघों द्वारा ग्राम पंचायत तथा सूक्ष्म जलागम स्तर पर परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा। जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण तथा कृषि व्यवसाय विकास हेतु सामाजिक जागरूकता के लिये क्षेत्रीय एन0जी0ओ0 को अनुबन्धित किया जायेगा।

परियोजना का ढाँचा

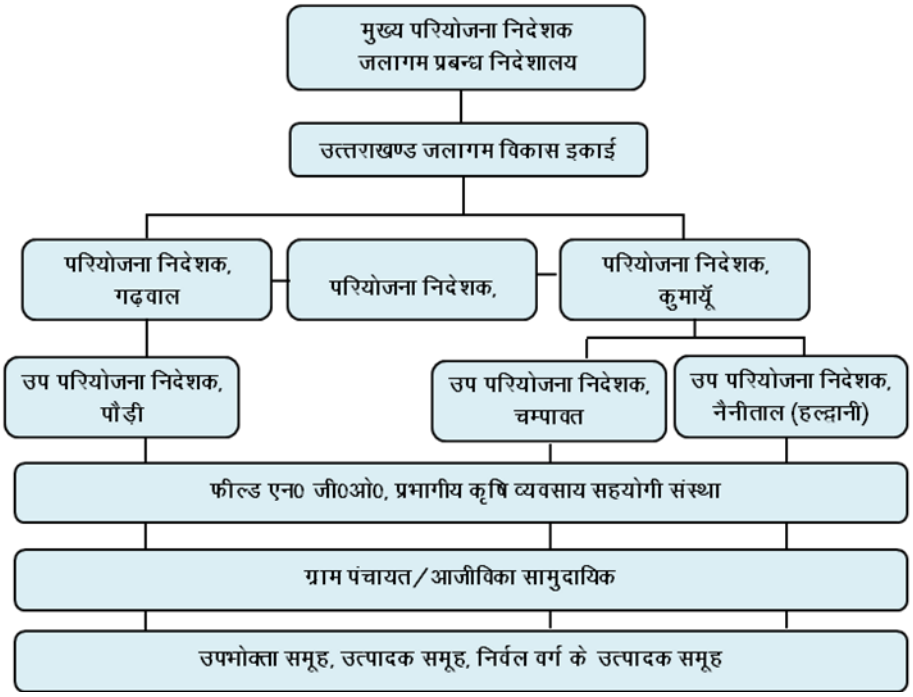

परियोजना अवधि : 7 वर्ष, (2012 से 2019 तक)

वित्तीय प्रवाह (Fund Flow)

परियोजना लागत के तीन मुख्य श्रोत (IFAD, राज्य सरकार तथा लाभार्थी अंश) हैं। परियोजना समन्वयन समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार कर वित्त विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य व जनपद स्तर पर जलागम कार्यालय द्वारा परियोजना बजट का व्यय उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई के अधीन सोसाईटी मोड में प्रस्तावित है। ग्राम स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन चूंकि जल एवं जलागम प्रबन्ध समिति के स्तर से किया जायेगा। अतः ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जलागम विकास परियोजना के आधार पर बजट जल एवं जलागम प्रबन्ध समिति के स्तर पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना की वित्तीय व्यवस्था

आवंटन/व्यय हेतु सम्पूर्ण लेखांकन सोसाईटी मोड द्वारा ही किया जाएगा (ग्राम पंचायत अनुदान विवरण को छोड़कर)। ग्राम पंचायतों को दिये गये घटकवार व्यय तथा अग्रिम धनराशि का विवरण निदेशालय तथा प्रभागों द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा। इन कार्यालयों द्वारा परियोजना व्यय के रिकार्ड हेतु अलग से एक कैश बुक का प्रयोग किया जाएगा। परियोजना कार्यालयों द्वारा सोसाइटी मोड में टेली व्यवस्था के साथ व्यय का मासिक मिलान किया जाएगा।

परियोजना की ऑडिट एवं प्रोक्यूअरमेंट व्यवस्था

परियोजना का आडिट प्रत्येक वर्ष IFAD की गाइड लाइन्स के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउन्ट फर्म का चयन पारदर्शिता तथा Competitive Process से किया जायेगा। परियोजना हेतु सामग्री, कार्य तथा सेवा (Goods, Works and Services) का Procurement उत्तराखण्ड क्रय नियम (2008) के अनुसार किया जायेगा, लेकिन सुगम संचालन तथा समय पर क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से कुछ आंशिक संशोधन किए जा सकते हैं।

परियोजना लागत तथा वित्त पोषण

सहभागी जलागम विकास की अनुमानित लागत लगभग रू0 244 करोड़ है, जिसका उपघटकवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	उप घटक एवं कार्यक्रम	धनराशि (करोड़ रू0 में)	प्रतिशत
1.	सहभागी जलागम प्रबन्धन	100.35	41.12
2.	खाद्य सुरक्षा वृद्धि हेतु समर्थन	51.27	21.01
3.	आजीविका बढ़ाने हेतु समर्थन	15.52	6.36
4.	संस्थागत सुदृढ़ीकरण	71.89	29.46
5.	मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं ज्ञान प्रबन्धन	5.01	2.05
	योग –	**244.04**	**100.00**

इस प्रकार परियोजना के सहभागी जलागम विकास घटक में IFAD, राज्य तथा लाभार्थी का अंश निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	संस्था	धनराशि (करोड़ रू0 में)	प्रतिशत
1.	आई0एफ0ए0डी0	164.44	67.38
2.	राज्यांश	57.14	23.42
3.	लाभार्थी अंश	22.46	9.20
	कुल	**244.04**	**100.00**

परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थी

- **मध्यम तथा लघु कृषक;** 1. जलागम उपचार, विशेष रूप से वर्षा जल संरक्षण तथा जल संग्रहण संरचनायें, जिनसे जल उपलब्धता में वृद्धि होगी; 2. बारानी कृषि विकास को सम्मिलित करते हुये कृषि औद्यानिकी तथा पशुधन क्षेत्रों में सहयोगी सेवाओं; तथा 3. कृषि व्यवसाय विकास तथा बाजार सम्पर्क गतिविधियों से लाभान्वित हो सकेंगे।
- **निर्बल वर्ग (सीमान्त भूमिधर, भूमिहीन तथा गरीब महिला वर्ग);** परियोजना द्वारा निर्वल वर्ग के परिवार मुख्यतः पशुधन, पारम्परिक व्यवसाय, सेवा क्षेत्र आदि में विकसित आय–अर्जक गतिविधियों द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे।

- **स्थानीय संस्थान जैसे ग्राम पंचायतें:** परियोजना प्रबन्धन तथा सामाजिक जबावदेही के क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना (जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0) के निरूपण तथा क्रियान्वयन हेतु दक्षता प्राप्त कर सकेंगी। आई0एल0एस0पी0 में सूक्ष्म जलागम में स्थित ग्राम पंचायतों की सीमा से बाहर स्थित क्षेत्रों (Inter GP Area) तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में वन पंचायतों के माध्यम से कार्य किये जायेंगे।
- **उत्पादक समूह एवं आजीविका समूहः** परियोजना द्वारा समुदाय आधारित संगठनों जैसे जल उपयोगकर्ता समूह (UG), उत्पादक समूह (PG), निर्बल वर्ग के उत्पादक समूह (VPG), तथा आजीविका सामुदायिक (LC) भी गठित किये जायेंगे।
- **जलागम विकास के प्रमुख संस्थागत हितभागी;** परियोजना में मुख्य रूप से फील्ड एन0जी0ओ0 (FNGO), कृषि व्यवसाय सहयोगी संस्थायें (DSA) तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अधीन कार्यालय हितभागी होंगे।

6. प्रदत्त सेवाएं

जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के चयनित क्षेत्र के उपचार हेतु जलागम प्रबन्धन के उद्देश्य पूर्ति के लिये निम्न कार्य प्रस्तावित किये जाते हैः

प्रशिक्षण, क्षमता विकास व सामुदायिक सहभागिता : ग्रामीण समुदाय विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, योजना के नियोजन , कार्यान्वयन व सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रशिक्षण का प्रमुख उददेश्य है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण समुदायों के साथ–साथ परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें परियोजना के नियोजन, कार्यान्वयन तथा अभिलेखों का रखरखाव आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर क्षेत्र भ्रमण कराये जाते हैं जिससे उनकी क्षमता का विकास हो सके। ग्राम स्तर पर समन्वय हेतु एक ग्रामीण मोटीवेटर की व्यवस्था की जाती है।

आय संवर्द्धन गतिविधियां एवं सामाजिक कोश– परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्बल वर्ग के आर्थिक व सामाजिक स्थिति में उत्थान हेतु परियोजना द्वारा आय अर्जक गतिविधियों यथा गाय–भैंस पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, सूकर पालन, पौधालय निर्माण, सब्जी उत्पादन, मौन पालन एवं हस्तशिल्प की गतिविधियां संचालित की जा रही है। इन वर्गो हेतु सामुहिक परिसम्पत्तियों यथा विक्रय केन्द्र आदि का निर्माण सोशल फण्ड के अन्तर्गत किया जा रहा है।

वानिकी: चारे की निरंतर उपलब्धता के उददेश्य से सिल्वी पाश्चर योजना के अन्तर्गत ग्रामों के समीपवर्ती क्षेत्र में चारा प्रजातियों के पौधों का रोपण, ईधन की उपलब्धता हेतु समीपवर्ती वन क्षेत्र पर बढ़ रहे दबाव को रोकने के लिये ईधन प्रजातियों के पौधों का रोपण एवं अवनत् वनों के सघनीकरण हेतु वृक्षारोपण तथा वन व सामुदायिक भूमि में बांस व राम बांस रोपण ।

भूमि सरंक्षण एवं नदी, नाला नियंत्रण : बरसाती नदियों तथा छोटे–छोटे नालों से ग्रामों का समीपवर्ती क्षेत्र विशेषकर कृषि भूमि भू–स्खलन से प्रभावित है। इन नालों का उपचार एवं नियंत्रण करने हेतु वानस्पतिक अवरोधक, ड्राई स्टोन चैक डैम तथा क्रेट वायर चैक डैम आदि का निर्माण किया जाता है। नदी के वहाव को नियंत्रित करने हेतु साइड वाल, तटबंध आदि बनाकर कृषि भूमि की सुरक्षा के कार्य किये जाते हैं।

वाटर हार्वेस्टिंग (जल संभरण) तथा लघु सिंचाई: सिंचाई तथा मछली पालन को बढावा देने के उददेश्य से तालाब/पौंड का निर्माण व मरम्मत। सिंचाई के लिये पानी को पम्प करने के लिये डीजल इंजिन का वितरण, वर्षा जल के संग्रहण से सिंचन क्षमता में वृद्धि करने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग टैंक/सिंचाई टैंक के निर्माण तथा सिंचाई दक्षता बढाने के लिये सीमेंट कंक्रीट की पक्की सिंचाई गूलों का निर्माण किया जाता है।

उद्यानीकरण : रिक्त, ढालू भूमि को उपयोग मे लाने व कृषकों की आय में वृद्धि हेतु नये उद्यानों की स्थापना, कृषकों के घरों के नजदीक घरवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार पौंध का रोपण, साग–भाजी के उत्पादन में वृद्धि तथा ऑफ–सीजन सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उन्नत प्रजाति के साग–भाजी बीज मिनीकिट का वितरण व प्रदर्शन, पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार, मेहल पौधों में ढांचा रोपण, पॉली टनल, पॉली हाऊस प्रदर्शन तथा सामुदायिक फल पौध रोपण का कार्य किया जाता है।

कृषि : उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्नतशील प्रजाति के बीजों तथा नई कृषि तकनीक से होने वाले लाभों को प्रदर्शित करने के लिये उन्नतशील कृषि बीज मिनीकिटों का वितरण व कृषि क्षेत्रो में प्रदर्शन किया जाता है। भूमि कटाव एवं मृदा के ह्रास को रोकने के लिये कृषि टैरेसस की मरम्मत भी इस कार्यक्रम के अर्न्तगत की जाती है।

पशुपालन : दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु नस्ल सुधार के लिये नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों व कृत्रिक गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना तथा प्रजनन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु अनावश्यक तथा छुट्टा सांडों का बधियाकरण, पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्नतशील चारा बीज मिनीकिट का वितरण किया जाता है। उन्नत नस्ल के पशुओं के

लिये कृषको में जागरूकता पैदा करने के उददेश्य से समय–समय पर पशु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। पशुओं को खूंटे पर बांधकर खिलाने की पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिये तथा चारे की बचत हेतु चारा नाद का निर्माण भी किया जाता है। साथ ही चारे के सही उपयोग व बचत को प्रोत्साहित करने हेतु प्रर्दशन के रूप मे चारा उपकरणों का वितरण भी किया जाता है।

ग्रामीण मार्ग : ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गो से जोड़ने तथा यातायात सुविधा को मध्यनजर रखते हुए ग्रामीण मार्गो का सुधार/सुदृढीकरण, सम्पर्क पुलो का निर्माण का कार्य किया जाता है। यह कार्यक्रम वर्ष 1999 से विश्व बैंक वित्त पोषित आई0डब्लू0डी0पी0 (हिल्स–।।) परियोजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।

बायो गैस संयत्र : ईधन हेतु वनों पर निर्भरता को कम करने तथा महिलाओं को खाना पकाने में सुविधा देने के उद्देश्य से बायोगैस संयत्रों की स्थापना की जाती है।

7. संगठनात्मक स्वरूप

जलागम प्रबंधन व्यवस्था को एक अभियान के रूप में लागू करने हेतु जलागम प्रबंध निदेशालय के अधीन प्रशासनिक, नियोजन/मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, तकनीकी तथा परियोजना कार्यान्वयन शाखायें स्थापित की गयी हैं जिनमें जलागम प्रबंध निदेशालय में कार्यरत श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4 के नियमित सीधी भर्ती के 194 कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों /कर्मचारियों की विभिन्न विभागों से उपलब्धता/अनुभव के आधार पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के रूप में सेवायें प्राप्त की जायेंगी। निदेशालय को निम्न क्रम में एक रेखीय ढांचे का स्वरूप दिया गया है।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के प्रमुख विभागाध्यक्ष निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय होंगे जिनके अधीन अपर निदेशक (प्रशासन) द्वितीय कमाण्ड के रूप में कार्य करेगा जिनके नियंत्रण में निदेशालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जायेगा तथा निदेशालय के अधिष्ठान सम्बन्धी एवं वित्तीय सम्बन्धी कार्यों का संचालन भी इसमें सम्मिलित रहेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों मे मानव संसाधनो के विकास हेतु विशेष कर महिलाओं में जागृति एंव क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें। विभागीय कर्मियें को रिओरियेन्टेशन तथा अद्यतन तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों का आयेाजन किया जायेगा। जलागम परियोजना के स्वरूप को विकसित एवं प्रचारित करने हेतु अनुभवों, कार्यों तथा सफलता एवं असफलता का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाया जायेगा, जन जागृति एवं चेतना विकसित

करने हेतु दृश्य एवं श्रवण कार्यक्रमों को अपनाया जायेगा। यह कार्य अपर निदेशक (प्रशासन) के दिशा निर्देशन में सम्पादित करवाये जायेंगे।

प्रदेश में मुख्यतः जलागम निदेशालय, कृषि, भूमि सरंक्षण, वन विभाग तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जलागम आधारित योजनायें चलायी जा रही हैं। अधिकतर योजनायें केन्द्र पोषित अथवा बाह्य वित्त पोषित अथवा वित्त संस्थाओं द्वारा अनुदान के रूप मे वित्त पोषित की जा रही हैं। कहीं इन योजनाओं के कार्य क्षेत्र में दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो शीर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इसका लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं के पास तकनीकी संसाधनों का अभाव है। इस हेतु **नियोजन शाखा/ मूल्यांकन एवं अनुश्रवण** को सुदृढ किया जा रहा है। यह शाखा सभी विभागों एवं स्वयं सेवी संस्था की योजनाओं का तकनीकी परीक्षण करेगी। इस शाखा की संस्तुति के पश्चात ही जलागम आधारित योजनाओं को वित्त पोषण हेतु भेजा जायेगा। यह शाखा प्रदेश के सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की भूक्षरण तीव्रता, दैविक आपदा, आर्थिक एवं सामाजिक मापदण्डों के आधार पर प्राथमिकता के क्षेत्रो का निर्धारण करेगी तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए योजना तैयार करेगी। योजना कार्यक्रम, भौगोलिक स्थिति के आधार तथा जन आवश्यकता को ध्यान में रखकर तय किया जायेगा तथा निदेशालय स्तर पर वर्तमान में चल रही विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना से जी0आई0एस0/ एम0आई0एस0 लैब स्थापित कर प्रबन्ध सूचना पद्धति को विकसित किया जायेगा। परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अतिरिक्त कार्यक्रमों के प्रभाव का आंकलन इस शाखा के द्वारा संचालित किया जायेगा। इस शाखा को **अपर निदेशक (नियोजन/ मूल्यांकन एवं अनुश्रवण)** के अधीन रखा गया है।

जलागम प्रबन्ध परियेाजना के कार्यों के संचालन हेतु **अपर निदेशक तकनीकी** का पृथक पद रखा गया है जो कि राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अपर निदेशक, परियोजना द्वारा संचालित की जा रही जलागम प्रबन्ध परियोजना के संचालन में तकनीकी जानकारियां एवं दिशा निर्देशन देंगे, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के श्रेष्ठतम तकनीकी संस्थानों एवं विश्व विद्यालयों से सांमजस्य स्थापित कर नवीनतम तकनीकी जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रमों में इसका समावेश करायेंगे। क्षेत्र में आजीविका संसाधन बढ़ाने यथा कृषि, पशुपालन, औद्यानिकी, वानिकी, चारागाह विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, वाटर हार्वेस्टिंग, लघु सिंचाई के कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञों का आपस में सांमजस्य स्थापित कर कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करेंगे।

जलागम विकास निदेशालय के अधीन चलाई जा रही वाह्य सहायतित परियेाजनायें तथा प्रस्तावित वाह्य सहायतित परियेाजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपर निदेशक (परियेाजना) के पद की व्यवस्था की गयी है।

निदेशालय के समस्त कार्यकलापों का नियंत्रण निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय के अधीन होगा जो कि राज्य सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी अथवा कार्य की स्थिति को देखते हुये प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा।

जलागम प्रबन्धन विभाग के प्रस्तावित ढांचे को यूनिफाइड कमान्ड के रूप में रखा गया है जिसमें अपर निदेशक प्रशासन, नियोजन/मूल्यांकन एंव अनुश्रवण, तकनीकी, परियोजना यूनिट आदि व इसके अधीन रखे गये तकनीकी पदों को किसी विभागीय कैडर में नहीं रखा गया है। इन पदों पर ग्राम्य विकास/ वन/ कृषि/पशुपालन/अभियन्त्रण आदि सम्बन्धित रेखा विभागों से उपलब्धता/ अनुभव के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा स्थानान्तरण के रूप में सेवायें प्राप्त की जायेंगी।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का विवरण

क0सं0	शासनादेश संख्या जिसके द्वारा पद स्वीकृत हुए	स्वीकृत पदों की संख्या	शासनादेश संख्या 195/483(5)/2005 दिनांक 30–03–05 द्वारा समर्पित पद	शेष पद
1	2	3	4	5
1	203/जलागम/कृषि/2002 दिनांक 15–5–02	262	–	262
2	686/483(5)/कृषि एवं जलागम/2004 दिनांक 26–3–04	148	61	87
3	195/XIII-II/483(5)/2005 दिनांक 30–3–05	92	–	92
4	300/XIII-II/483(5)/2004 दिनांक06–05–2006	68	–	68
5	29/XIII-(II)/09(07)/2011	47	–	47
	योग :–	617	61	556

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत 2 मण्डलीय परियोजना निदेशक कार्यरत है, जिनका मुख्यालय क्रमशः गढ़वाल क्षेत्र हेतु मुनिकीरेती में तथा कुमायूँ क्षेत्र हेतु हल्द्वानी में रखा गया है। परियोजना निदेशक के अधीन प्रत्येक प्रभाग के लोक सूचना अधिकारी उप परियोजना निदेशक होगें।

यूनिटवार विवरण :–

यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 फेज–2			
परिक्षेत्र	**प्रभाग**	**इकाई**	**आच्छादित ग्राम पंचायत (सं0)**
गढ़वाल (परियोजना निदेशक, मुनिकीरेती)	देहरादून	सहिया चकराता क्वासी	55
	टिहरी	थत्यूड़ कैम्पटी नैनबाग	78
	पौड़ी	पाटीसैंण सतोलीगाड़ कण्डालीनदी	62
कुमाऊ (परियोजना निदेशक, हल्द्वानी)	अल्मोड़ा	दान्या गरूडबांज भानोली	87
	बागेश्वर	कपकोट लोहारखेत गोगीना	43
	पिथौरागढ़	मुवानी थाल नाचनी	64
आई0एल0एस0पी0			
गढ़वाल (परियोजना निदेशक, मुनिकीरेती)	पौड़ी	पाबौ इकेश्वर	48
कुमाऊ (परियोजना निदेशक, हल्द्वानी)	चम्पावत	पाटी, चम्पावत बाराकोट	54
	नैनीताल	बैतालघाट रामगढ़	84
कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक (पी0एम0यू0 यूनिट)	मॉडल सूक्ष्म जलागम	रायपुर	7
	पी0एन0जी0ओ	पुरोला, उत्तरकाशी	
	पी0एन0जी0ओ0	रूद्रप्रयाग	

8. कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन जनसहयोग की अपेक्षा

ग्राम पचायत स्तर पर पी0आर0ए0 पद्वति से ग्राम योजना एवं ग्राम पंचायत योजना के निर्माण के दौरान परियोजना प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के मध्य सीधे संवाद स्थापित होने से परियोजना कर्मियों को ग्रामीण परिवेश, उनके परम्परागत

ज्ञान एवं ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के क्षमता, कौशल एवं मनोविज्ञान के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है जिससे ग्रामीण समुदाय द्वारा योजना निर्माण तथा कार्यो का कार्यान्वयन कराने में आसानी होती है।

9. जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था

विभिन्न कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के क्षमता विकास के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे है तथा परियोजना कार्यो के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण समुदाय के सदस्यों को प्रेरित किये जाने हेतु एफ0एन0जी0ओ0 की सेवाएं ली जा रही हैं। जिसके द्वारा विभिन्न स्तरों पर कोआर्डिनेटर, फैसिलिटेटर एवं ग्रामीण मोटीवेटर की सेवाएं प्रदान की जायेंगी।

परियोजना के अन्तर्गत सामुहिक लाभ के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, उपयोग तथा उनके भावी रखरखाव हेतु उपयोग समूहों का गठन किये जावेगे।

निर्बल वर्ग एवं महिलाओं के आय में वृद्वि कर उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना विकसित किये जाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है, जिन्हें क्षमता विकास /आय अर्जक गतिविधियों के प्रशिक्षण द्वारा आय अर्जक गतिविधियों को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

10. जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

ग्राम स्तर पर परियोजना द्वारा सम्पादित कार्यो का अनुश्रवण ग्रामीण समुदायों/ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु ग्राम स्तर पर किए गये समस्त कार्यो का विवरण एवं उस पर व्यय की गई धनराशि तथा वर्ष में किए जाने वाले/किये गये कार्यो का स्पष्ट विवरण पंचायत भवन की दीवारों अथवा ऐसे स्थान पर दीवार अंकित किया जायेगा जहां पर गांव के लोग आसानी से पढ़ सके। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यो के प्रभावों का आकंलन/अनुश्रवण परियोजना प्रशासन तथा वाह्य संस्थाओं द्वारा भी कराया जाता है।

शिकायतों का निराकरण परियोजना प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर जिसके लिए कि शिकायत संदर्भित की गई हो तथा ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान के स्तर पर किया जायेगा।

11. मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पतेः–

स्तर	कार्यालय का नाम
राज्य स्तर	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून। दूरभाष 2768712, 2762839

स्तर	कार्यालय का नाम
मण्डल स्तर	1– कार्यालय परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना–2, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल। दूरभाष– 0135–2437010, 2437010
	2– कार्यालय– परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना–2, रामपुर रोड, हल्द्वानी। दूरभाष–05946–235806 फैक्स–05946–235806
जनपद स्तर पर	1– उप परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना, फेज–2 देहरादून प्रभाग, विकास नगर, देहरादून, दूरभाष– 01360–253013
	2– उप परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड, विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना, फेज–2 थत्यूड़ प्रभाग, थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल दूरभाष–01376–246400
	3– उप परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2, पौड़ी प्रभाग, पौड़ी गढवाल दूरभाष– 01346–226434
	4– उप परियोजना निदेशक, आई0एल0एस0पी0, पौड़ी प्रभाग, पौड़ी गढवाल दूरभाष – 9411113123
	5–उप परियोजना निदेशक, आई0 एल0 एस0 पी0 हल्द्वानी प्रभाग, निकट श्रम आयुक्त काठगोदाम रोड हल्द्वानी दूरूरभाष– 05946– 222498
	6–उप परियोजना निदेशक, आई0 एल0 एस0 पी0 चम्पावत प्रभाग,, चम्पावत
	7–उप परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड, विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना, फेज–2 बागश्वेवर प्रभाग, बागेश्वर दूरभाष– 05963–221003
	8–उप परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड, विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना, फेज–2 पिथौरागढ प्रभाग, पिथौरागढ़ दूरूरभाष– 05964– 227285
	9–उप परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड, विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना, फेज–2 अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोडा
	10– मॉडल यूनिट (पी0एम0यू0) कार्यालय जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर देहरादून।

स्तर	कार्यालय का नाम
यूनिट स्तर (ग्राम्या–2) (विकास नगर प्रभाग)	1– चकराता यूनिट, जनपद–देहरादून 2– साहिया यूनिट़, जनपद–देहरादून 3– क्वांसी यूनिट जनपद–देहरादून
यूनिट स्तर (ग्राम्या–2) (थत्यूड़ प्रभाग)	1– थत्यूड़ यूनिट, जनपद–टिहरी गढ़वाल। 2– नैनबाग यूनिट जनपद–टिहरी गढ़वाल। 3– कैम्पटी यूनिट, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
यूनिट स्तर (ग्राम्या–2) (पौड़ी प्रभाग)	1– सैंतालीगाड़ यूनिट, जनपद–पौड़ी। 2– कण्डाली नदी संगलाकोटी यूनिट, जनपद–पौड़ी। 3– पाटिसैण मैटाकुण्ड यूनिट, जनपद–पौड़ी।
आई0 एल0एस0पी0, यूनिट स्तर (पौड़ी प्रभाग)	1– कुटटी गाड़ यूनिट पावों, जनपद–पौड़ी। 2– कलीगाड़ यूनिट पावों, जनपद–पौड़ी। 3– पिनगाड़ यूनिट पावों, जनपद–पौड़ी।
यूनिट स्तर आई0 एल0एस0पी0, नैनीताल हल्द्वानी प्रभाग	1. कार्यालय – यूनिट अधिकारी, तल्ला रामगढ़ जनपद नैनीताल 2. कार्यालय – यूनिट अधिकारी, सिमलखा यूनिट, जनपद नैनीताल
यूनिट स्तर आई0 एल0एस0पी0, चम्पावत प्रभाग	1.यूनिट कार्यालय आई0 एल0 एस0 पी0 , चम्पावत यूनिट, खेतीखान जनपद– चम्पावत 2. कार्यालय –यूनिट कार्यालय–वर्दाखान, आई0 एल0 एस0 पी0 , मुख्यालय– वर्दाखान जनपद चम्पावत।
यूनिट स्तर (ग्राम्या–2) बागेश्वर प्रभाग	1. यूनिट कायार्ल य –य0ूडी0डब्ल्यू0डी0पी0–2 लाहोरखेत, बागेश्वर यूनिट, जनपद –बागेश्वर। 2 यूनिट कार्यालय – यू0डी0डबल0ूडी0पी0–2 कपकोट मुख्यालय–कपकोट जनपद बागेश्वर
यूनिट स्तर (ग्राम्या–2) पिथौरागढ़ प्रभाग	1. कार्यालय यूनिट अधिकारी –य0ूडी0डब्ल्यू0डी0पी0–2 जनपद–पिथौरागढ़ 2 कार्यालय – यूनिट अधिकारी,– थल, य0ूडी0डब्ल्यू0डी0पी0–2 जनपद पिथौरागढ़ 3 कार्यालय – यूनिट अधिकारी,– नाचनी यूडी0डबल0ू डी0पी0–2 जनपद पिथौरागढ
यूनिट स्तर (ग्राम्या–2) अल्मोड़ा प्रभाग	1.कार्यालय– यूनिट अधिकारी, भनोली, य0ूडी0डब्ल्यू0डी0पी0–2 जनपद अल्मोड़ा 2 कार्यालय – यूनिट अधिकारी, – गुरड़ाबाजं , यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, जनपद अल्मोड़ा 3 कार्यालय – यूनिट अधिकारी, दन्या यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 –2 जनपद अल्मोड़ा
मॉडल यूनिट (पी0एम0यू0) देहरादून	1. श्री अनूप रौतेला, पदनाम –यूनिट अधिकारी, यूनिट कार्यालय थानौ जनपद–देहरादून।

12. कार्यालय के खुलने का समय – प्रातः 10.00 बजे

13. कार्यालय के बन्द होने का समय – सायं 5.00 बजे

(सार्वजनिक अवकाश तथा रविवार अवकाश को छोड़कर)

7. जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना

7.1 परियोजना विवरणः– सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर वैश्विक पारिस्थितिकी/पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता तथा वन भू–दृश्य के संरक्षण के लिये कृषि क्षेत्रों में सुधार/प्रोत्साहन के दृष्टिगत जनपद पौडी गढवाल के राजाजी कार्बेट वन्य जीव कोरिडोर तथा कार्बेट वन्य जीव परिदृश्य क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 1,63,494 हैक्टेयर में 5.87 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 41.28 करोड़) लागत की जैफ वित्त पोषित जैफ –6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से किया जा रहा है, जो वर्ष 2025–26 में पूर्ण होगी। परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति शत–प्रतिशत अनुदान के माध्यम से होगी।

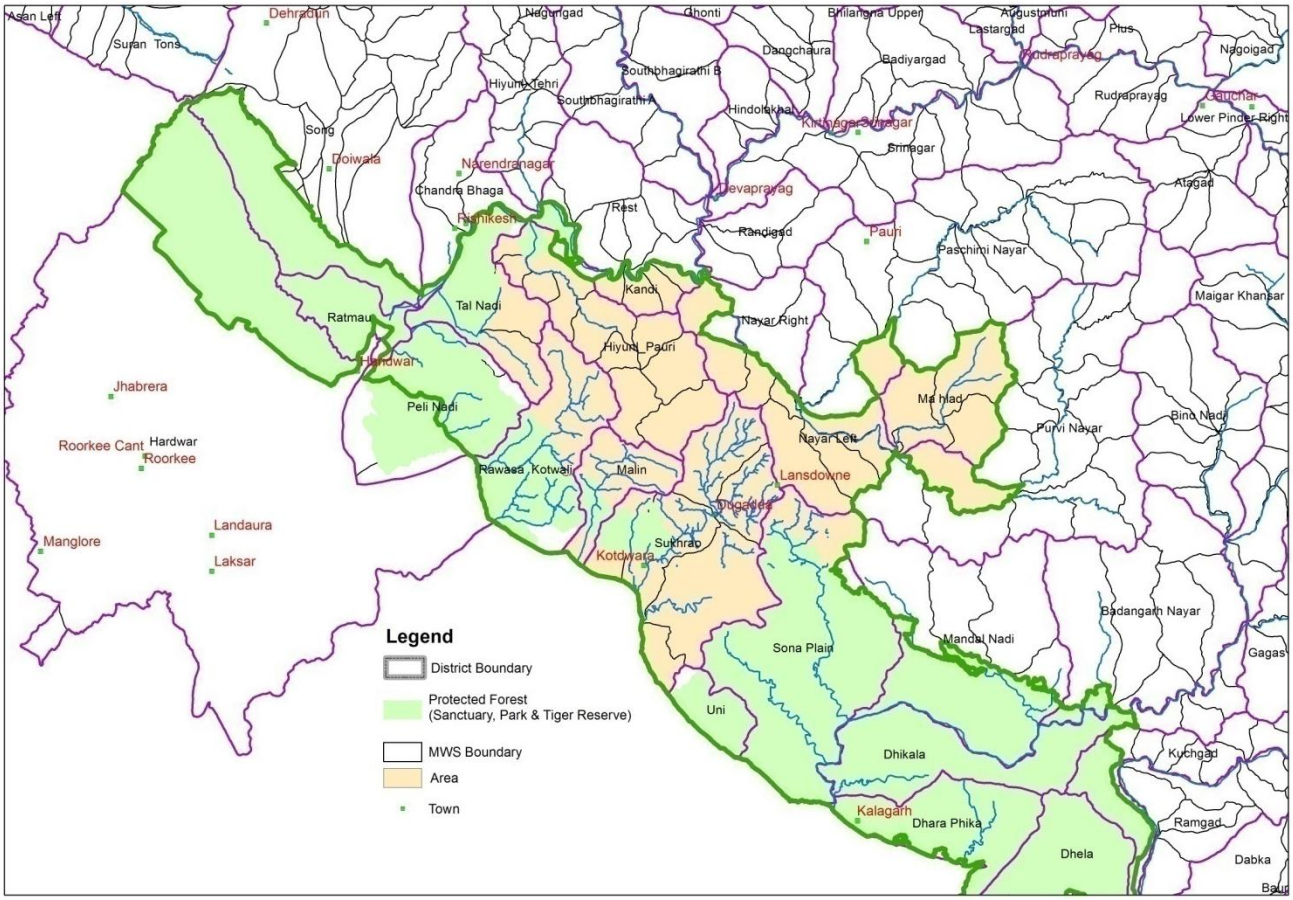

7.2 परियोजना उद्देश्य :– परियोजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार/प्रोत्साहन करते हुये परियोजना क्षेत्रों में पारिस्थिकीय क्रियाओं, जैव विविधता एवं वन भू दृश्य (Forest Landscape) का संरक्षण करना

है। परियोजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कृषि क्षेत्र सुधार, जैव विविधता संरक्षण, मानव–वन्य जीव संघर्ष रोकथाम एवं समन्वय गतिविधियाँ, समुदाय का क्षमता विकास तथा आजीविका संवर्धन व मूल्य श्रृंखला विकास के साथ–साथ सतत भूमि एवं वन प्रबंधन गतिविधियां की जाएंगी।

7.3 परियोजना लागत :– कुल 5.87 USM डॉलर (रू0 41.28 करोड @ 70.36 रू0 प्रति US डॉलर)

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	छह	कुल
ꞁेड डॉलर में	0.58	0.77	0.86	1.14	1.29	1.24	5.87
रूपये करोड में	4.06	5.41	6.05	8.00	9.05	8.71	41.28

7.4 परियोजना बजट सारांश–

घटक	बजट (USD)
घटक 1: भारत के कृषि क्षेत्र में जैव विविधता (BD), सतत भूमि प्रबन्धन (SLM), जलवायु परिवर्तन शमन (CCM) एवं सतत वन प्रबन्धन (SFM) नीतियों, प्राथमिकताओं और प्रथाओं को सक्षम करने के लिये सक्षम ढांचे एवं संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करना।	859,683 (14.65%)
घटक 2: स्थायी उत्पादन, आजीवन आजीविका प्रगति, निवास स्थान में सुधार तथा मूर्त जैव विविधता, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन शमन, और सम्त वन प्रबन्धन लाभ का प्रदर्शन करते हुये कृषि व संरक्षण प्रथाओं में सुधार।	4,799,384 (81.81%)
घटक 3: परियोजना प्रबन्धन लागत।	207,728 (3.54%)
कुल परियोजना लागत	**5,866,794**

फण्ड फ्लोः ***SLNA*** के अन्तर्गत ***जलागम परियोजना प्रबन्धन ईकाई*** में परियोजना का बैंक एकाउन्ट AXIS बैंक में खोला गया है। वित्त पोषण संस्था से सीधे परियोजना खाते में धनराशि हस्तान्तरित हो रही है। परियोजना में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रु0 103.94 लाख की धनराशि वित्त पोषण संस्था से परियोजना के बैंक खाते में प्राप्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक रु0 94.92 लाख व्यय हुआ है।

7.5 परियोजनान्तर्गत चयनित उच्च प्राथमिकता क्षेत्र का विवरण:

- **क्षेत्रफल** – 13,486 हैक्टेयर
- **विकासखण्ड-** 03 (दुगड्डा, जहरीखाल व यमकेश्वर)
- **ग्राम पंचायत -** 36
- **राजस्व ग्राम -** 99
- **कुल परिवार** – 3,579
- **कुल जनसंख्या** – 15,708

7.6 परियोजना के घटक एवं आउटकम:

घटक–1: भारत के कृषि क्षेत्र में जैव विविधता (BD), सतत भूमि प्रबन्धन (SLM), जलवायु परिवर्तन शमन (CCM) एवं सतत वन प्रबन्धन (SFM) नीतियों, प्राथमिकताओं और प्रथाओं को सक्षम करने के लिये सक्षम ढांचे एवं संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करना।

आउटकम–1.1: राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थागत, नीति और कार्यक्रम ढांचे को कृषि क्षेत्र में पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को एकीकृत करने के लिए मजबूत करना ताकि वैश्विक पर्यावरणीय लाभ (जीईबी) को उच्चतम संरक्षण चिंता के परिदृश्य में बढ़ाया जा सके।

आउटकम–1.2: राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर क्रॉस–सेक्टोरल ज्ञान प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रणाली, जो वैश्विक पर्यावरणीय लाभ के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ाने वाले परिदृश्य स्तरों पर कृषि–पारिस्थितिक दृष्टिकोण के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं में वृद्धि।

घटक–2: स्थायी उत्पादन, आजीवन आजीविका प्रगति, निवास स्थान में सुधार तथा मूर्त जैव विविधता, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन शमन, और सतत् वन प्रबन्धन लाभ का प्रदर्शन करते हुये कृषि व संरक्षण प्रथाओं में सुधार।

आउटकम–2.1: ग्रीन लैंडस्केप योजना और प्रबंधन में निर्णय लेने और हितधारकों की भागीदारी का समर्थन करने के लिए जिला और ग्राम स्तर पर संस्थागत ढांचे, तंत्र और क्षमता को मजबूत करना, ग्रीन लैंडस्केप प्रबंधन योजनाओं को विकसित किया जाना।

आउटकम–2.2: परिवारों और समुदायों को कृषि–पारिस्थितिकी प्रथाओं में संलग्न होने में सक्षम और प्रोत्साहित किया जाता है जो लक्ष्य उच्च संरक्षण प्राथमिकता वाले परिदृश्य में परिदृश्य स्तर पर सार्थक वैश्विक पर्यावरणीय लाभ (जीईबी) प्रदान करते हैं।

घटक–3: परियोजना प्रबन्धन समर्थन।

7.7 परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्य–

राजाजी–कॉर्बेट वन्यजीव गलियारे में चिन्हित ग्राम पंचायतों में विकास तथा प्राकृतिक संसाधन सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नानुसार गतिविधियां की जाएँगी –

- ग्राम पंचायत, जैव विविधता प्रबंधन समितियां तथा वन पंचायत की सामुदायिक सहभागिता से ग्राम पंचायत योजनाओं का निरूपण।
- स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन को प्रोत्साहन।
- वन्य जैव विविधता तथा पशु–कॉरिडोरों का संरक्षण करते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु प्रयास।
- कृषि जैव विविधता संरक्षण हेतु परंपरागत स्थानीय प्रजातियों को प्रोत्साहित करते हुए चिन्हित कृषि उत्पादों के लिये सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना।
- औषधीय और सगंध पौधों तथा अकाष्टय वन उत्पादों का संरक्षण तथा समुचित उपयोग।
- स्थानीय स्टार पर रोजगार हेतु समुदाय आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन तथा हतममद अंसनम बींपदे की स्थापना।

- पशुपालन हेतु स्वदेशी पशुओं का गुणवत्ता में वृद्धि, पोषण एवं रोग प्रबन्धन तथा सामुदायिक चारा बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन।
- मृदा एवं जल संरक्षण में उपयोगी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन।
- प्राप्त परिणामों तथा सीखों का अभिलेखीकरण तथा प्रसार।

7.8 परियोजना अन्तर्गत क्रियान्वित महत्वपूर्ण गतिविधियां–

- परियोजना अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर 99 ग्रामों के चयन को अंतिम रूप दिया गया है।
- समस्त उच्च प्राथमिकता वाले गांवों में Stakeholder mapping की गई है। उत्तराखण्ड राज्य का Geo-Spatial analysis Report तैयार कर NPMU को प्रेषित किया गया है।
- 15 जून 2021 को परियोजना की एक दिवसीय राज्य स्तरीय शुभारम्भ कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- दिनांक 04–06 अक्टूबर 2021 के मध्य Green Landscape Implementation Unit (GLIU) Pauri एवं अन्य रेखीय विभागों के लिए Food & Agriculture Organisation (FAO) के साथ मिलकर '' तीन दिवसीय विस्तारित परियोजना शुभारम्भ एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला'' का आयोजन किया गया।
- Village resource mapping व आधारभूत सर्वेक्षण के लिए Community Resource person (CRP's) को ग्राम पंचायत व उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ग्रामों का आवंटन किया गया।
- Studies on human-wildlife conflict अध्ययन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून के साथ 06 माह का अनुबन्ध किया गया।

4 केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0

4.1 परियोजना विवरण

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय पत्रांक F.No.K-11011/26/2022-WDC 2.0/ Uttarakhand (efile 3011914) दिनांक 20 जनवरी 2022 द्वारा 90 प्रतिशत केन्द्र एवं 10 प्रतिशत राज्य द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 (PMKSY-WDC 2.0) के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षो हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु 12 परियोजनाए स्वीकृत की गयी है।

4.2 परियोजना का उद्देश्य

राज्यान्तर्गत स्वीकृत जलागम विकास परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन के माध्यम से वर्षा आधारित/निम्नकोटी भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना है तथा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास करते हुए उनकी सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्वि करना है।

4.3 परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताऐं

- ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता द्वारा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास।
- सामुदायिक सहभागिता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्धन।
- परियोजना क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों एवं जल स्रोतों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण।
- ग्राम पंचायत स्तर पर उन्नत उत्पादन प्रणाली विकसित किया जाना।
- महिलाओं एवं निर्बल वर्ग/भूमिहीन परिवारो की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आजीविका सम्बन्धित गतिविधियां, सूक्ष्म उद्योग एवं व्यवसाय वृद्वि के अवसर उत्पन्न कराना।
- ग्राम पंचायत स्तर परियोजना का निरुपण, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन।

4.4 परियोजना क्षेत्र विवरण

पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु स्वीकृत 12 परियोजनाओं से 11 विकासखण्डों के अन्तर्गत चयनित 25 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 566 ग्राम पंचायतों के 872 राजस्व ग्रामों में संचालित की जायेगी। परियोजना द्वारा 37879 परिवार लाभन्वित होंगे। चयनित सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत कुल परियोजना क्षेत्रफल 70231 हे0 है। परियोजना का क्षेत्र विवरण निम्नवत है–

जनपद	परियोजना का नाम	सूक्ष्म जलागम	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	सूक्ष्म जलागम क्षेत्रफल (हे0)	परिवार सं0	जनसंख्या	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)	वन क्षेत्रफल (हे0)	कृषि योग्य भूमि (हे0)	वर्षा आधारित क्षेत्रफल (हे0)	बंजर भूमि		परियोजना लागत (लाख में)
													उपचारित	अनुपचारित	
अल्मोड़ा	PMKSY-WDC2.0/ Almora-I/ 2021-22	जाखगधेरा	सल्ट	11	15	1920	926	4060	5400	1002	600	597	186	132	1512
		गबनीगधेरा	सल्ट	10	11	1806	756	3517		1037	459	448	226	84	
		बोरा गधेरा	सल्ट	10	12	2050	803	3459		925	688	518	363	74	
	Subtotal	**3**		**31**	**38**	**5776**	**2485**	**11036**	**5400**	**2964**	**1747**	**1563**	**775**	**290**	**1512**
	PMKSY-WDC2.0/ Almora-II/ 2021-22	नौरागधेरा	भिक्यासैन	46	74	5511	3458	14378	6800	321	2707	2707	1802	681	1904
		बमोरा	भिक्यासैन	17	18	1475	619	2535		322	500	500	536	117	
	Subtotal	**2**		**63**	**92**	**6986**	**4077**	**16913**	**6800**	**644**	**3207**	**3207**	**2337**	**798**	**1904**
	PMKSY-WDC2.0/ Almora-III/ 2021-22	तुसरीगाढ़	भिक्यासैन	13	18	2506	651	2419	5810	487	850	850	1069	100	1627
		भिक्यासैन	भिक्यासैन	16	21	1656	984	3890		67	1064	1064	322	203	
		काखरी गधेरा	तारीखेत	13	20	2180	695	2797		393	894	894	366	527	
	Subtotal	**3**		**42**	**59**	**6342**	**2330**	**9106**	**5810**	**948**	**2808**	**2807**	**1756**	**830**	**1627**
	PMKSY-WDC2.0/ Almora-IV/ 2021-22	काखरी गधेरा	भिक्यासैन	37	**41**	5781	1806	7064	**7500**	921	2362	2291	1452	**1046**	**2100**
		त्यारका गधेरा	चखुटियां	24	**30**	3006	1931	7901		403	1004	526	902	**697**	
	Subtotal	**2**		**61**	**71**	**8787**	**3737**	**14965**	**7500**	**1324**	**3366**	**2817**	**2354**	**1743**	**2100**
Total		**10**	**4**	**197**	**260**	**27891**	**12629**	**52020**	**25510**	**5879**	**11128**	**10394**	**7223**	**3661**	**7143**
पौड़ी	PMKSY-WDC2.0/Pauri-I / 2021-22	सिरगाढ़	एकेश्वर	41	73	4849	1823	7378	5025	2003	1624	1407	558	664	1407
		भवानी	एकेश्वर	18	25	2025	1005	3953		654	694	680	313	364	
	Subtotal	**2**		**59**	**98**	**6874**	**2828**	**11331**	**5025**	**2657**	**2318**	**2087**	**871**	**1028**	**1407**
	PMKSY-WDC2.0/Pauri-II/ 2021-22	इरगाढ़	एकेश्वर कलजीखाल, पावौ, पौड़ी	57	82	6164	3572	13607	6150	1216	2243	2164	1605	1100	1722
		1		**57**	**82**	**6164**	**3572**	**13607**	**6150**	**1216**	**2243**	**2164**	**1605**	**1100**	**1722**
	PMKSY-WDC2.0/Pauri-III/ 2021-22	खैरगाढ़	कलजीखाल,	44	76	5271	2540	9521	5146	801	2250	2207	1533	687	1441
		1		**44**	**76**	**5271**	**2540**	**9521**	**5146**	**801**	**2250**	**2207**	**1533**	**687**	**1441**

जनपद	परियोजना का नाम	सूक्ष्म जलागम	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	सूक्ष्म जलागम क्षेत्रफल (हे0)	परिवार सं0	जनसंख्या	उपचार योग्य क्षेत्रफल (हे0)	वन क्षेत्रफल (हे0)	कृषि योग्य भूमि (हे0)	वर्षा आधारित क्षेत्रफल (हे0)	बंजर भूमि		परियोजना लागत (लाख में)
													उपचारित	अनुपचारित	
	PMKSY-WDC2.0/Pauri-IV/ 2021-22	घटगाढ़	एकेश्वर कलजीखाल,	30	49	3853	1147	4648	6250	1015	1542	1474	1037	259	1750
		बचेली	एकेश्वर	24	46	3071	1057	4133		385	1596	1515	790	300	
	Subtotal	**2**		**54**	**95**	**6924**	**2204**	**8781**	**6250**	**1400**	**3138**	**2989**	**1827**	**559**	**1750**
Total		**6**	**4**	**214**	**351**	**25233**	**11144**	**43240**	**22571**	**6074**	**9949**	**9447**	**5836**	**3374**	**6320**
पिथौरागढ़	PMKSY-WDC2.0/ Pithoraghar-I/ 2021-22	कार्कीगांव	बेरीनाग	17	37	2421	2602	10575	6600	655	987	947	383	396	1848
		तितरगाढ़	बेरीनाग	19	36	2725	1358	5732		1190	610	587	721	204	
		मनगढ़गांढ़	बेरीनाग	12	29	3663	1100	4673		2572	532	375	417	142	
	Subtotal	**3**		**48**	**102**	**8809**	**5060**	**20980**	**6600**	**4417**	**2129**	**1909**	**1521**	**742**	**1848**
	PMKSY-WDC2.0/ Pithoraghar-II/ 2021-22	बोलकीगांढ़	बेरीनाग, गगोलीहाट	14	31	2677	1151	4795	5250	1521	709	648	311	**136**	**1470**
		तनरकीगांढ़	गंगोलीहाट	24	41	3730	2647	12627		2684	754	643	0	292	
	Subtotal	**2**		**38**	**72**	**6407**	**3798**	**17422**	**5250**	**4205**	**1463**	**1291**	**311**	**428**	**1470**
	PMKSY-WDC2.0/ Pithoraghar-III/ 2021-22	भूलगांव	गंगोलीहाट	13	16	1420	679	3126	3600	1118	302	223	0	**0**	**1008**
		सुरनूगांढ़	गंगोलीहाट	15	15	2501	1091	5109		1124	534	459	322	521	
	Subtotal	**2**		**28**	**31**	**3921**	**1770**	**8235**	**3600**	**2242**	**836**	**682**	**322**	**521**	**1008**
	PMKSY-WDC2.0/ Pithoraghar-IV/ 2021-22	गोकरनेश्वर गाढ़	पिथौरागढ़	17	25	3148	1752	7393	6700	1434	845	756	564	305	1876
		किनगाढ़	पिथौरागढ़	24	31	4381	1726	7577		1221	1132	1032	1282	746	
	Subtotal	**2**		**41**	**56**	**7529**	**3478**	**14970**	**6700**	**2655**	**1977**	**1788**	**1846**	**1051**	**1876**
Total		**9**	**3**	**155**	**261**	**26666**	**14106**	**61607**	**22150**	**13518**	**6405**	**5670**	**4001**	**2742**	**6202**
	Grand Total 3 District	**25**	**11**	**566**	**872**	**79790**	**37879**	**156867**	**70231**	**25472**	**27482**	**25511**	**17059**	**9777**	**19665**

4.5 परियोजना लागत एवं वित्त पोषण

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित 12 परियोजनाएं राज्य हेतु स्वीकृत की गयी। **जिनकी परियोजना लागत–धनराशि रू0 19664.68 लाख (90% केन्द्रांश धनराशि रू0 17698.21 लाख एवं 10% राज्यांश रू0 1966.47 लाख) है।**

4.6 परियोजनाओं के विभिन्न घटकों में बजट प्राविधान

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा परियोजनाओं के संचालन हेतु जारी दिशानिर्देश 2021 के अनुसार जलागम परियोजनाओं के विभिन्न घटकों हेतु बजट का मात्रांकन/प्रतिशत विवरण निम्नानुसार है:–

मुख्य मद/ घटक	उप मद/घटक	बजट की प्रतिशतता
प्रशासनिक मद	परियोजना प्रबन्धन	10
	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	2
प्रारम्भिक चरण	प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)	**2**
	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	1
	संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	3
कार्य चरण	प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन	47
	उत्पादन प्रणाली	15
	प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन एवं निगरानी (Governance)	2
	निर्बल वर्ग समूह तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका सम्बन्धी कार्यकलाप, तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम एवं व्यवसाय वृद्वि	15
समेकन चरण	समेकन चरण	3
	योग	**100**

4.7 परियोजना प्रबन्धन/समयावधि

परियोजनाओं के संचालन हेतु जारी दिशानिर्देश 2021 के अनुसार जलागम विकास परियोजनाओं हेतु 05 वर्ष की समयावधि निर्धारित है। जिसमें परियोजना को तीन चरणों में निम्न प्रकार विभाजित किया गया है–

चरण	नाम	अवधि
1	प्रारम्भिक चरण	प्रथम 1 वर्ष में

2	कार्यचरण	2 – 3 वर्ष
3	समेकन और निवर्तन चरण	अन्तिम 1 वर्ष में

4.8 संस्थागत व्यवस्थायें

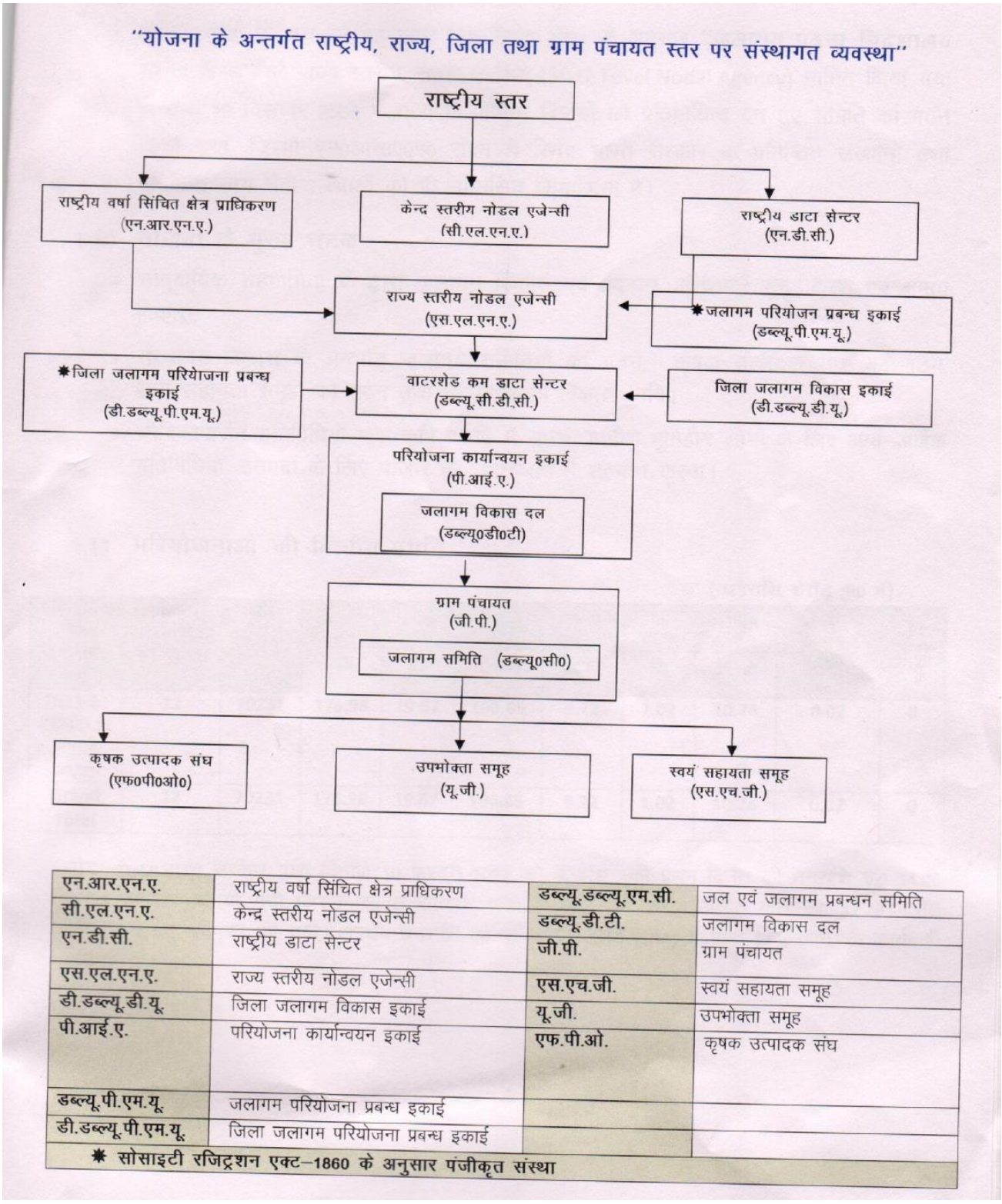

एन.आर.एन.ए.	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण	डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.सी.	जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति
सी.एल.एन.ए.	केन्द्र स्तरीय नोडल एजेन्सी	डब्ल्यू.डी.टी.	जलागम विकास दल
एन.डी.सी.	राष्ट्रीय डाटा सेन्टर	जी.पी.	ग्राम पंचायत
एस.एल.एन.ए.	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी	एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
डी.डब्ल्यू.डी.यू.	जिला जलागम विकास इकाई	यू.जी.	उपभोक्ता समूह
पी.आई.ए.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	एफ.पी.ओ.	कृषक उत्पादक संघ
डब्ल्यू.पी.एम.यू.	जलागम परियोजना प्रबन्ध इकाई		
डी.डब्ल्यू.पी.एम.यू.	जिला जलागम परियोजना प्रबन्ध इकाई		

* सोसाइटी रजिट्रशन एक्ट–1860 के अनुसार पंजीकृत संस्था

4.9 राज्य में योजना की वर्तमान स्थिति :

परियोजनाओं के संचालन हेतु जारी दिशानिर्देश 2021 के अनुसार **"जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड"** को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (State Level Nodal Agency) नामित किया गया है, तथा 19 दिसम्बर 2008 में राज्य के विभिन्न विभागों को प्रतिनिधित्व देते हुए समिति का गठन किया गया, जिसमें एन0आर0ए0ए0 राज्य में स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों तथा प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

4.10 योजना के मुख्य घटक

- सामुदायिक सहभागिता के द्वारा जलागम विकास एवं प्रबन्धन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास;
- संस्थागत विकास के अन्तर्गत जलागम समितियों का गठन, कृषक उत्पादक संघों का गठन, स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा उनका क्षमता विकास आदि।
- जीविकोपार्जन गतिविधियों यथा कृषि पद्धति में सुधार, ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए आय–अर्जक गतिविधियों, उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता में सहयोग करना।

4.11 परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति

(धनराशि करोड़ रू0 में)

परियोजना की स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत परियोजना की संख्या	क्षेत्र (हे0)	परियोजना लागत			अवमुक्त धनराशि व अर्जित ब्याज			मई 2022 तक का व्यय	व्यय प्रतिशत
			CS	SS	Total	CS	SS	Total		
2021-22 (दिनांक 20 जनवरी 2022)	12	70231	176.98	19.67	196.65	5.40	0.53	6.03	0.02	0
Grand Total	**12**	**70231**	**176.98**	**19.67**	**196.65**	**5.40**	**0.53**	**6.03**	**0.02**	**0**

नोटः–DoLR भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2022 को केन्द्रांश की प्रथम किस्त की धनराशि रू0 11. 06 करोड़ उपलब्ध करायी गयी जिसके सापेक्ष राज्यांश धनराशि रू0 1.23 करोड़ अर्थात कुल रू0 12.29 करोड़ परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी।

जिसके सापेक्ष दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2021 को परियोजना खाते (SNA) में केन्द्रांश की धनराशि रू0 5.40 करोड़ व राज्यांश की धनराशि रू0 0.53 लाख शासन स्तर से उपलब्ध करायी गयी अवशेष धनराशि रू0 4.71 करोड़ को परियोजना खाते (SNA) में प्राप्त किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

4.12 वित्तीय वर्ष 2021–22 की भौतिक उपलब्धि एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित लक्ष्यः–

क्र. सं.	कार्यों का विवरण	ईकाई	वित्तीय वर्ष 2021–22 की भौतिक उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	**जलागम विकास**		भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20 जनवरी	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित धनराशि से जनपद एवं ग्रामीण स्तरीय संस्थागत
अ	**जल संचयन संरचनाएं**			
1.	चैकडैम	संख्या		
	जल संग्रहण क्षमता	घन.मी.		

क्र. सं.	कार्यों का विवरण	ईकाई	वित्तीय वर्ष 2021–22 की भौतिक उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5
2.	परकुलेशन टैंक	संख्या	2022 को परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2022 को परियोजना खाते (SNA) में परियोजना संचालन हेतु धनराशि प्राप्त हुई जिस कारण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में भौतिक प्रगति शून्य है।	सुदृढ़ीकरण, क्षमता विकास के कार्य, प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA) एवं परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है तदोपरान्त ही सम्बन्धित गतिवधियों के लक्ष्य अन्तिम किए जायेंगे।
	जल संम्भरण क्षमता	घन.मी.		
3.	तालाब	संख्या		
	जल संग्रह क्षमता	घन.मी.		
4.	वर्षा जल संग्रह टैंक, जल संग्रह टैंक	संख्या		
	जल संग्रह क्षमता	घन.मी.		
	पाईप लाइन, सिंचाई गूल	मीटर		
5.	पुराने जल संग्रह संरचनाओं का जीर्णोद्वार	संख्या		
	अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में वृद्वि	है0		
6.	लाभान्वित कृषकों की संख्या	संख्या		
ब	**मृदा नमी संरक्षण**			
1.	मेड़बन्दी	है0		
2.	सुरक्षा दीवार	मीटर		
स	**वृक्षारोपण/चारा विकास**			
1	वृक्षारोपण	है0		
2.	चारा विकास	हे0		
2	**भूमिहीन/निर्बल वर्ग हेतु आजीविका सम्बन्धित गतिविधियां**			
अ	बकरी पालन	संख्या		
ब	मुर्गीपालन	संख्या		
स	डेयरी (दुग्ध उत्पादन)	संख्या		
द	मौन पालन	संख्या		
य	अन्य (बैण्ड, लौहार, बढ़ई, दुकान, सब्जी उत्पादन एवं विपणन आदि)	संख्या		
3	**उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम**			
अ	फलोउद्यान (नीबू प्रजाति, आम, अमरूद आदि)	है0		
ब	कृषि फसले (धान, मडुवा, गेहूँ आदि)	है0		
स	बैमौसमी सब्जी उत्पादन (टमाटर, आलू, बन्द गोभी, शिमला मिर्च आदि)	है0		
द	मसालों की खेती (अदरक, हल्दी आदि)	है0		
य	पॉली हाउस	संख्या		
र	वर्मी कम्पोस्ट	संख्या		

4.13 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 के वित्तीय संसाधनों के स्रोतः

लेखा शीर्षक–	**अनुदान सं0 17 लेखाशीर्षक– 2401, फसल कृषि कर्म, 001– निदेशन एवं प्रशासन, 01– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0102– पी0एम0के0एस0वाई0/समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम**	
वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित अनुमान**	**वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान**
आयोजनागत व्यय/बजट प्राविधान	10102 राजस्व– **रू0 898.63 लाख** 9502 राजस्व–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश **रू0 99.85लाख** **कुल–रू0 998.48** लाख	10102 राजस्व– **रू0 7215.00 लाख** 9502 राजस्व– केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश **रू0 802.00 लाख** **कुल– रू0 8017.00** लाख

नोटः केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि विभाग को विभागीय बजट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की अवमुक्त धनराशि के अनुरुप की केन्द्रांश व तदनुरुप राज्यांश राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त किया जाता रहा है।

4.10 मानक मदवार बजट प्राविधान, पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान 2021–22 एवं प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान 2022–23

(हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2021–22		वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान
	आय व्ययक	पुनरीक्षित अनुमान	
राजस्व मद			
0102–56–ग्रान्ट इन एड	45000	89863	721500
9502 (केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश) 56–ग्रान्ट इन एड	5250	9985	80200
कुल योग	50250	99848	801700

5 केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना

केन्द्र पोषित् प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 के अन्तर्गत ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें अनुसूचित जाति उप योंजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 के अन्तर्गत चयनित 25 सूक्ष्म जलागमों में से ऐसे 143 राजस्व ग्राम अनुसूचित जाति उप योजना से आच्छादित हैं।

5.1.1 वित्तीय संसाधनों के स्रोतः

लेखा शीर्षक–	**अनुदान सं0 30–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लेखाशीर्षक– 2401, फसल कृषि कर्म, 001– निदेशन एवं प्रशासन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0104– पी0एम0के0एस0वाई0/समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम**	
वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित अनुमान**	**वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान**
आयोजनागत व्यय/बजट प्राविधान	10104 राजस्व– **रू0 207.51 लाख** 9504 राजस्व–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश **रू0 23.06 लाख** **कुल–रू0 230.57** लाख	10104 राजस्व– **रू0 1692.00 लाख** 9504 राजस्व– केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश **रू0 188.00 लाख** **कुल– रू0 1880.00** लाख

5.1.2 मानक मदवार बजट प्राविधान, पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान 2021–22 एवं प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान 2022–23

(हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2021 –22		वित्तीय वर्ष 2022 –23 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान
	आय ब्ययक	पुनरीक्षित अनुमान	
राजस्व मद			
0104–56– ग्रान्ट इन एड	9000	20751	169200
9504 (केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश)	1050	2306	18800
कुल योग	**10050**	**23057**	**188000**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना हस्तपुस्तिका

भाग–1

मैनुअल संख्या 2

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चौदहवां संस्करण जून, 2022

मैनुअल संख्या– 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य

प्रशासनिक अधिकार /उत्तरदायित्व

मुख्यालय/निदेशालय स्तर

1. मुख्य परियोजना निदेशक

- जलागम निदेशालय के अन्तर्गत चल रही अथवा भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाआके का समन्वय नियोजन निर्देशन एवं क्रियान्वयन।
- अपर निदेशकों/परियोजना निदेशकों से परियोजना कार्यान्वयान हेतु वार्षिक प्लान प्राप्त करना उनका तकनीकी अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन।
- अपर निदेशकों/परियोजना निदेशकों से लक्ष्यों के अनुरूप बजट प्रस्ताव प्राप्त कर समीक्षा करना तथा शासन से बजट पारित करवाना तथा बजट आवंटन एवं नियंत्रण।
- परियोजना कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- राज्य में कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार स्टाफ की तैनाती करना व उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- वर्तमान में चल रही विश्व बैंक पोषित यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0..2 के अतिरिक्त भविष्य में विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली किसी भी वाहय वित्त पोषित अथवा GOI/GOUA द्वारा वित्त पोषित जलागम परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर पण शासकीय नियंत्रण व ऐसी परियोजनाओं के विभिन्न मदों के अध्यावधिक तकनीकी विकास हेतु व्यवस्था।
- परियोजना से सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के क्षमता विकास एवं आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण को व्यसस्था हेतु विभिन्न संस्थानों/विभागों से सामन्जस्य स्थापित करना। भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वाहय संस्थाओं के मध्य विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु समन्चय स्थापित करना।
- प्रत्येक 6 माह में प्राधिकृत समिति/स्टयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित करना तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना।

- वाहय संस्थाओं/राज्य/केन्द्र सरकार के निर्देशों (सुझावों तथा अन्य शासकीय निर्देशों) का परिपालन एवं आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन।
- मुख्य परियोजना निदेशक वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम 88 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप स्व–नियंत्रक अधिकारी रहेंगे।
- पी0एन0जी0ओ0 एवं एफ0एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय।
- वाहय पोषित परियोजनाओं के व्यय के सापेक्ष वित्त मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिपूर्ति दावा पोषित करना तथा भारत सरकार एवं Funding Agency से समन्वयन स्थापित कर उत्तराखण्ड राज्य के पक्ष में प्रतिपूर्ति करवाना।

2. परियोजना निदेशक (प्रशासन) :

- जलागम प्रबन्ध निदेशालय के नियन्त्रणाधीन समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन।
- मुख्य परियोजना निदेशक के दायित्वों के निर्वहन में उनकी सहायता प्रदान करना। परियोजना निदेशक प्रशासन के दायित्वों का सफल संचालन हेतु उनकी सहायता उप परियोजना निदेशक प्रशासन करेंगे।

3. अपर निदेशक (तकनीकी) :

- परियोजना प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण।
- विभिन्न कार्यमदों के र्यिान्वयन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की नवीनतम तकनीकी ज्ञान का परियोजना में उपयोग सुनिश्चित करना।
- विभागीय कार्यक्रमों से ओवरलपिग से बचाव।

4. अपर निदेशक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण)

- परियोजना का निर्माण।
- परियोजना हेतु वित्तीय व्यवस्था।
- प्राथमिकता निर्धारण चयन दिशा निर्देशन
- परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।
- परियोजना के प्रवाहों का आकलन।

- सूचना पद्धति (प्रबन्धन एवं भू–सूचना) का विकास।

5. संयुक्त निदेशक, कृषि, पशु पालन, फलोद्यान (अपने कार्यमद से सम्बन्धित विषयें के परिपेक्ष में) :

- परियोजना प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण।
- कार्यमदों के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विभागीय कार्यक्रमों की नवीनतम तकनीकी ज्ञान का परियोजना मे उपयोग सुनिश्चित करना।
- विभागीय कार्यक्रमों से ओवरलपिग से बचाव।
- परियोजना प्रभावों का मूल्यांकन अध्ययन।
- परियोजना कार्यक्रमों के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विस्तृत आलेख तैयार करना।

6. वित्त नियंत्रक

- बजट अनमाना का संकलन तथा बजट प्राविधान के अनुरूप आय–व्ययक का नियन्त्रण।
- वित्तीय स्वीकृतियों का परीक्षण व जारी करवाना।
- मासिक/त्रैमासिक/छमाही तथा वार्षिक लेखा तैयार कराकर लेखा के व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार से समयान्तर्गत मिलान करवाना।
- प्रतिपूर्ति दावे तैयार करवाना तथा तद्सम्बन्धी पत्र व्यवहार।
- आडिट आपत्तियों का निराकरण।
- परियोजना का वित्तीय प्रबन्धन/प्रोजेक्शन/प्रोक्योरमेन्ट सम्बन्धी कार्य।
- मुख्य परियोजना निदेशक द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्य।

  उक्त के अतिरिक्त मुख्य परियोजना निदेशक के दायित्वो के सफल निर्वहन में उनका विभिन्न विषयों में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यालय में सम्बन्धित विषयों के उप परियोजना निदेशक, प्रशासन, नियोजन, प्रशिक्षण एवं पर्यावरण विशेषज्ञ, अनुश्रवण व मूल्यांकन–टॉक्स फोर्स तथा PMU Unit से सम्बन्धित अधिकारी होंगें।

फील्ड स्तर

7. परियोजना निदेशक

- क्षेत्रीय स्तर पर अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (AWP) के अनुरूप प्रभागवार परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना निदेशक सीधे उत्तरदायी होंगें।
- स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप मुख्य परियोजना निदेशक से बजट प्राप्त करना एवं इसका समय से आवंटन।
- वित्तीय अनुशासन व्यय नियन्त्रण एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार से मिलान करना।
- अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार स्टाफ की तैनाती/स्थानान्तरण करना व उन पर पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण रखना।
- उप परियोजना निदेशकों हेतु विस्तृत सूची तथा वर्तमान प्रस्तावों के अनुरूप वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त कर उनका परिक्षण कर इन्हें यथासमय क्रियान्वित किये जाने के परिपेक्ष में स्वीकृति हेतु मुख्य परियोजना निदेशक को प्रस्तुत करना।
- अधीनस्थ उप परियोजना निदेशकों से MPR, HPR व APR प्राप्त कर उनका परीक्षण एवं संकलन कर समय से मुख्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराना।
- स्थानीय रेखा विभागों व पंचायती राज संस्थाओं से समन्वयन स्थापित करना।
- उक्त के अतिरिक्त ऐसा कोई भी कार्य जो मुख्य परियोजना निदेशक/उत्तराखण्ड शासन द्वारा उनको दिया जाय।
- अपर निदेशक/परियोजना निदेशक वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम 88 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप स्व–नियन्त्रक अधिकारी रहेंगें।
- पी0एन0जी0ओ0 एवं एफ0एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय।
- पूर्व परियोजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव।

8. उप परियोजना निदेशक

- उप परियोजना निदेशक अपने क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विषयों से सम्बन्धित परियोजना कार्यों के समय से क्रियान्वित करने हेतु पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार स्टाफ की तैनाती/स्थानान्तरण करना व उन पर पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण रखना।

- जलागम प्रबन्ध निदेशालय के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 तैयार करने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना व नियम से जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 तैयार करने की व्यवस्था करना।
- ग्राम पंचायत स्तर से आम सभा से अनुमोदित जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 प्रस्तुत करने पर उसका परीक्षण कर टिप्पणी के साथ जी0पी0 को वापिस करना।
- अनुमोदित जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 व इसके अनुरूप तैयार वार्षिक कार्य योजना (AWP) के समय से क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर से अनुमोदित जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार धनराशि की मांग आने पर परियोजना अभिलेखों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरू॰ समय से ग्राम पंचायत के परियोजना खाते में धनराशि हस्तान्तरित करना।
- अनुमोदित जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 के क्रियान्वयन हेतु जी0पी0 का सम्पूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान करना व कार्यों के समय से क्रियान्वयन की व्यवस्था करना।
- MPR, HPR, APR तथा AWP समय से प्रस्तुत करना।
- मसिक लेखा समस से परियोजना निदेशक व महालेखाकार को प्रस्तुत करना।
- ज्नपद स्तरीय जलागम समन्वयक समिति की बैठक आयोजित करना व बैठक में लिये गये निर्णयों का आवश्यकतानुरूप क्रियान्वयन करना।
- स्थानीय जनपद स्तरीय विभिन्न रेखा विभागों/पंचायत स्तरीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार स्टाफ की तैनाती करना व विभिन्न इकाइयों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।
- क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप जीविकोपार्जन के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी प्रदर्शनों की व्यवस्था करना व इस हेतु कृषकों तक नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करने की व्यवस्था करना व अत्यन्त निर्धन परिवारों की आय में वृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व आय अर्जक गतिविधियों को अपनाने हेतु ऐसे समूहों का जी0पी0 के माध्यम से प्राथमिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- एन0एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय।

9. यूनिट अधिकारी

- यूनिट अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त परियोजना कार्यों के समय से क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- अपने अधीनस्थ व बहु उद्देश्य दल व फैसिलिटेटिंग एन0जी0ओ0 के मध्य सामंजस्य स्थापित करना व जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 तैयार करने में सम्बन्धित आर0वी0सी0 व जी0पी0 को पूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान करना व समय से जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 तैयार करना।
- अनुमोदित जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 के अनुसार ग्राम पंचायतवार वार्षिक कार्ययोजना तैयार करवाना इसे समय से उप परियोजना निदेशक को प्रस्तुत करना।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यों से सम्बन्धित प्रभागवार व उक्त सूचनायें सम्बन्धित व्यक्तियों /ग्रुप द्वारा हस्तान्तरित हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किये जा रहे परियोजना कार्यों को किये जाने हेतु हर सम्भव तकनीकी सहयोग प्रदान करना व इन्हें समय से पूर्ण करवाने की व्यवस्था करना।
- अपने क्षेत्र पर सम्बन्धित रेखा विभागों व पंचायत राज संस्थाओं से पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना।
- एफ0एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय।

वित्तीय अधिकार

जलागम निदेशालय के अन्तर्गत वर्तमान में चल रही यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0.2 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन शासन के द्वारा निम्नानुसार किया गया है :–

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 (जलागम) देहरादून दिनांक 27 अक्टूगर, 2014

विषयः प्रस्तावित विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP Phase-II) के कियान्वयन के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1193 / 3–वित्तीय अधिकार नियम दिनांक 18.11. 2013 एवं संख्या 2617 / वित्तीय अधिकार दिनांक 05.06.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 फेज–2 के कियान्वयन के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना अधिकारियों हेतु वित्तीय अधिकारों का निम्नवत प्रतिनिधायन करने की एतद् द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	मानक मदों का विवरण	मुख्य परियोजना निदेशक	परियोजना निदेशक (राज्य स्तर)	परियोजना निदेशक (मण्डल स्तर)	उप परियोजना निदेशक (जनपद स्तरीय)
1	2	3	4	5	6
1.	भण्डार कक्ष	13.50	13.50	5.00	2.00 तक
2.	क्षेत्रीय कार्य के सम्पादन	22.50	22.50	13.50	10.00 तक
3.	प्रकाशन	13.50	13.50	5.00	1.00 तक
4.	कन्सलटेंसी / टेक्नीकल एवं प्रोफेसनल सर्विस	13.50	13.50	5.00 लाख तक अग्रेतर अधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर	–

2. उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुये सुसंगत शासनदेशों / नियमों के कड़ाई से अनुपालन हेतु संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3. उपरोक्त अधिकारों का प्रतिनिधायन मा. यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 फेज–2 की विधिमान्य अवधि तक के लिये ही लागू रहेगा तथा परियोजना अवधि के उपरान्त स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4. अन्य मदों के लिये विभिन्न शासनादेशों के द्वारा राजकीय विभागों हेतु लागू प्रक्रिया यथावत रहेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 755/XXVII(7)/2013 दिनांक24.12.2014 से प्रदत सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Sd/-
(ओमकार सिंह)
उप सचिव

निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या ए–2–970/10–96–24 (7)–95 दिनांक 23.6.96 द्वारा विभिन्न कार्यालय अध्यक्षों/विभागाध्यक्षों को प्राप्त अधिकारों का ही प्रयोग किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है–

- मुख्य परियोजना निदेशक को वन विभाग में अपर मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के समतुल्य अधिकार इस योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कार्यो के लिये प्रदान किये जाते है।
- परियोजना निदेशकों को वन विभाग, पशुपालन विभाग में प्राप्त समकक्ष विभागाध्यक्षों के समतुल्य वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं।
- परियोजना निदेशकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम 88 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप सेल्फ कन्ट्रोलिग आफिसर घोषित किया जाता है।
- उप परियोजना निदेशकों को वन विभाग के उप वन संरक्षक के समतुल्य तथा फलोद्यान, पशुपालन, लघु सिचाई, कृषि एवं भूमि संरक्षण विभागों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समतुल्य वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जिसमें आहरण एवं वितरण अधिकार भी सम्मिलित हों प्रदान किये जाते हैं।
- (उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समस्त वित्तीय अधिकरों का प्रयोग जलागम प्रबन्ध परियोजना में चालू लेखा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा)।
- शासन द्वारा उपर्युक्त आदेशों के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन जारी किया जा सकता है।
- मुख्य परियोजना निदेशक/परियोजना निदेशकों तथा उप परियोजना निदेशकों के साथ इस परियोजना हेतु वर्तमान में स्वीकृत पद इस शर्तो के साथ वैसे ही सम्बद्ध किये जाते हैं कि इसमें यथावश्यक परिर्वतन/संशोधन/समायोजन किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक अधिकार

- यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 के क्रियान्वयन हेतु परियोजना से सम्बधित प्रशासनिक सहमति पत्र हस्ताक्षरित करना।
- ग्रामीण समुदाय को यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 सहभागी नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करने में जलागम निदेशालय को बहुउददे्श्यीय दल को सहायता प्रदान करना।
- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राजस्व ग्राम स्तर पर जलागम विकास परियोजना के नियोजन हेतु राजस्व ग्राम समिति व जलागम निदेशालय के बहुउददे्श्यीय दल को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
- राजस्व ग्राम स्तर की योजनायें प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत की संकलित ग्राम पंचायत जलागम विकास परियोजना को आम सभा में प्रस्तुत करना एवं इसका अनुमोदन प्राप्त करना।
- ग्राम सभा से अनुमोदित जी0पी0डब्लू0डी0पी0 को परीक्षण हेतु उप परियोजना निदेशक को प्रस्तुत करना।
- परियोजना कार्यो के क्रियान्वयन हेतु धनराशि प्राप्त करने के लिये जलागम विकास परियोजना खाता खोलना।
- अनुमोदित जी0पी0डब्लू0डी0पी0 के अनुरूप समय से वार्षिक कार्य योजना (AWP) तैयार कर इसे बहुउददे्श्यीय दल परीक्षण के पश्चात उप परियोजना निदेशक को प्रस्तुत करना।
- परियोजना कार्यो के समय से क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करना व बहुउददे्श्यीय दल के तकनीकी सहयोग से इन कार्यो को मानक के अनुरूप क्रियान्वत करना।
- परियोजना कार्यो के पारिश्रमिक को समय से भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करना व समय से इसका भुगतान करना।
- ग्राम सभा की बैठक निर्धारित समय से आयोजित कराना।
- परियोजना कार्यो से सम्बन्धित अंशदान का सम्बन्धित लाभार्थी से एकत्रीकरण कर सम्बन्धित कार्य पर योजना के अनुरुप उसका उपयोग।
- परियोजना कार्यो के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

निदेशालय स्तर पर वित्तीय दायित्वों के सफल निर्देशन एवं इस कार्य में मुख्य परियोजना निदेशक को सहयोग प्रदान करने एवं समय पर सी0सी0एल0 जारी करने का दायित्व वरिष्ट वित्त एवं लेखाधिकारी का होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना हस्तपुस्तिका

भाग–1

मैनुअल संख्या 3

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चौदहवां संस्करण जून, 2022

मैनुअल सं0–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

स्थाई जलागम प्रबन्ध निदेशालय का गठन शासनादेश सं0 203/जलागम/कृषि/2002/दिनांक 15, मई 2002 को किया गया। जलागम प्रबन्ध निदेशालय जलागम प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्त परियोजनाओं के लिए नोड्ल विभाग घोषित किया गया। इस निदेशालय द्वारा जलागम प्रबन्ध की समस्त परियोजनाओं के समन्वय,नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आदि का कार्य किया जाता है।

1. केन्द्र पोषित परियोजनाएं :

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजना के सम्बन्ध में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय करते हुये समान मार्गदर्शी निर्देर्शों के अनुरूप सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रदेष स्तर पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (SLNA) के रूप में शासनादेश सं0 591/2008/XIII-II/51(5)/2005 देहरादून, दिनांक 11 सितम्बर, 2008 द्वारा नामित किया गया है। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (SLNA) द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देर्शों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (SLNA) के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगेः–

क. ब्लाक तथा जिला स्तर पर तैयार की गई योजनाओं के आधार पर राज्य के लिए वाटरश्शेड विकास की संदर्शी तथा कार्यनीतिक योजना तैयार करना और कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति तथा प्रत्याषित उपलब्धियों/परिणामों वित्तीय परिव्ययों को सूचित करना तथा मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए विभाग के केन्द्र स्तरीय नोडल एजेन्सी से सम्पर्क करना।

ख. राज्यों को स्वीकृत निधियों से राज्य स्तरीय ऑकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करना तथा इसका रख–रखाव करना और राष्ट्र स्तरीय ऑकड़ा केन्द्र के साथ इसे ऑन लाईन जोड़ना।

ग. पूरे राज्य में जिला वाटरशेड विकास इकाइयों (डी0डब्लू0डी0यू0) को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

घ. राज्य की भीतर विभिन्न भागीदारों के क्षमता निमार्ण के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की एक सूची अनुमोदित करना और एन0आर0ए0ए0/नोडल मंत्रालय के परामर्श से समग्र क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति तैयार करना।

ड. समुचित विष्यनिष्ठ चयन मानदण्डों तथा पारदर्षी प्रणालियों को अपनाकर डी0डब्लू0डी0यू0/जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिज्ञात/चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमोदित करना।

च. विभिन्न स्तरों (आंतरिक एवं वाह्य/स्वतंत्र प्रणालियों) पर निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन प्रणालियां स्थापित करना।

छ. केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी के सहयोग से राज्य में वाटरशेड परियोजनाओं की नियमित तथा गुणवत्तापूर्ण ऑन लाइन मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र एवं सक्षम एजेंसियों के साथ साझेदारी विकसित करके सूचना प्राप्त करना।

ज. राज्य के भीतर सभी वाटरशेड परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र संस्थागत मूल्यांकनकर्ताओं की एक सूची (पैनल) तैयार करना, इस सूनी को केन्द्र स्तर पर संबंधित नोडल एजेंसियों से विधिवत रूप से अनुमोदित करवाना तथा यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन का कार्य नियमित आधार पर किया जाता है।

झ. नोडल मंत्रालय/एन0आर0ए0ए0 के साथ समन्वय से राज्य विशिष्ठ प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धान्त, प्रौद्योगिकी मैनुअल आदि तैयार करना तथा इन्हें लागू करना।

2. वाह्य पोषित परियोजनायें :–

निदेशालय के अन्तर्गत शासन स्तर अथवा अन्य कार्यालयों से या जनता से प्राप्त पत्रों को कार्यालय की पत्र प्राप्ति पंजिका (एफ–7) में अंकित कर सम्बन्धित कक्ष को टिप्पणी हेतु संदर्भित किया जाता हैं। सम्बधित कक्ष द्वारा पत्र पर संबंधित पत्रावली में नियमानुसार टिप्पणी अंकित कर कक्ष से सम्बन्धित अधिकारी को पत्रावली प्रस्तुत की जाती है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पत्रावली पर अपनी टिप्पणी अंकित करते हुये उच्चतर अधिकारी अपर निदेशक/परियोजना निदेशक (प्रशासन) के माध्यम से पत्रावली मुख्य परियोजना निदेशक को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दी जाती है। मुख्य परियोजना निदेशक महोदय द्वारा पत्रावली में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अथवा अनुमोदनोपरान्त पत्र का निस्तारण किया जाता है।

विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजनाः–

(i) नियोजनः–

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली विगत परियोजनायें भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून द्वारा तैयार कर वाह्य सहायतित वित्त पोषण हेतु जलागम निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जाती थी। तत्पश्चात वाह्य वित्त पोषण एजैन्सी एवं भारत सरकार के माध्य परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर विचार–विमर्श उपरान्त एक एप्रैजल टीम सम्बन्धित राज्य के परियोजना क्षेत्र में भ्रमण कर परियोजना के अनुपालन की संस्तुति की जानी हैं। वाह्य वित्त पोषण एजैन्सी, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य परियोजना एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के उपरान्त अनुमोदित परियोजना क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जलागम प्रबन्ध निदेशालय का होता हैं।

(ii) परियोजना का उद्देश्य :

- **ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों तथा जल, मृदा एवं वनस्पति का संरक्षण, विकास एवं उचित प्रबन्धन**
- **कृषि आधारित कार्यो के उत्पादन क्षमता में वृद्धि**
- **क्षेत्रवासियों विशेषकर निर्बल वर्गों की आय में वृद्धि के अवसर विकसित करना**
- **परियोजना में संस्थागत चिरन्तरता, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं सामाजिक क्षमता पर विशेष ध्यान**
- **ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं, निर्बल वर्ग, महिलाओं का क्षमता एवं कौशल विकास**

(iii) परियोजना रणनीति एवं कार्यान्वयन व्यवस्थाः–

- ग्राम पंचायतों के केन्द्रीय भूमिका–ग्रामीण समुदाय की सहभागीता से परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन तथा प्रबन्धन
- ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यक्रमों एवं लाभार्थियों का चयन एवं राजस्व ग्रामों से प्राप्त योजनाओं का संकलन
- योजना प्रस्तावों में पारिस्थितिकीय एवं सामजिक पहलुओं की संरक्षा का अनुपालन
- ग्राम पंचायत योजना की स्वीकृति आम बैठक में, योजना की स्थानीय परियोजना अधिकारियों द्वारा समीक्षा
- ग्राम पंचायतों को क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मानकों के आधार पर जलागम क्षेत्र उपचार एवं विकास हेतु धनराशि (बजट इनवेलप) का आवंटन, वार्षिक योजना का 10 प्रतिशत अग्रिम धन का हस्तान्तरण

- ग्राम पंचायतों का लेखा प्रबन्धन एवं अभिलेख तैयार करने का दायित्व होगा, उनकी सहायता हेतु लेखा सहायक ग्राम पंचायत क्षेत्र से चयन
- परियोजना के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संस्थाओं की अहम भूमिका

ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित ग्राम विकास योजनायें जल एवं जलागम समिति तथा जिला वाटरशेड समिति से अनुमोदित करायी जाती है। परियोजना क्षेत्र के चयनित ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वयन हेतु भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुमोदन राज्य स्तर पर गठित स्टेट स्टेयरिंग समिति से अनुमोदित करायी जाती है।

(iv) वार्षिक कार्य योजनाः– पंचायत स्तर पर तैयार किये गये ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के वर्ष के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर उप परियोजना निदेशक द्वारा प्रभाग के संकलित कार्ययोजना परियोजना निदेशक के माध्यम से निदेशालय में प्राप्त होगी। निदेशालय स्तर पर कार्ययोजना का तकनीकी परीक्षणोंपरान्त इसे स्टेट स्टेयरिंग कमेटी में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

निर्णय का अधिकारः–स्टेट स्टेयरिंग कमेटी

(v) यूनिट दरों का निर्धारणः– किसी भी कार्यमद के यूनिट दरों का निर्धारण उस कार्यमद के अन्तर्गत प्रयोग किये जानी वाली सामग्री के बाजार मूल्य तथा श्रमांश का संयुक्त रूप से आगणन कर परियोजना निदेशक स्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

निर्णय का अधिकारः– मुख्य परियोजना निदेशक

3. मूल्यांकन अध्ययनः–

विभागीय परियोजनाओं में संपादित किये जाने वाले कार्यों के प्रभाव का त्रिस्तरीय मूल्यांकन अध्ययन किया जाता हैः

(i) **ग्रामीणों एवं समुदाय के सदस्यों द्वाराः–**

ग्राम स्तर पर समुदाय के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों के प्रभावों एवं परियोजना कार्यों के कार्यान्वयन में परियोजना कार्मिकों की भूमिका का मूल्यांकन अध्ययन ग्रामीणों एवं समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

इस मूल्यांकन अध्ययन हेतु ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ग्रामीणों की सहज समझ में आने वाली प्रनावलियां विकसित की जाती है जिसमें एफ.एन.जी.ओ. के फैसिलिटेटर्स एवं ग्रामीण मोटिवेटर्स द्वारा ग्रामीणों एवं समुदाय के सदस्यों से विचार विमर्श कर सूचनायें संकलित की जाती हैं। इन संकलित सूचना के विश्लेषण से ग्रामीणों की परियोजना के विभिन्न अवयवों के विषय में जानकारी, परियोजना कार्यों व आय व्यय की पारदर्शिता, परियोजना कार्यों एवं इस पर परियोजना कार्मिकों की भूमिका के परिपेक्ष में ग्रामीणों की संतुष्टि के स्तर की जानकारी आदि उपलब्ध होती है।

(ii) परियोजना प्रशासन द्वाराः–

परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन अध्ययन परियोजना प्रशासन द्वारा किया जाता है इस हेतु विभिन्न प्रभावों के अध्ययन हेतु पृथक–पृथक इन्डीकेटर विकसित किये जाते है जिसमें निश्चित प्रक्रिया से परियोजना कार्मिकों द्वारा सूचना संकलित की जाती है। इस सूचना के विशलेषण से परियोजना के विभिन्न प्रभावों का आंकलन किया जाता है।

उक्त के साथ ही परियोजना के विभिन्न कार्य विशेष का मूल्यांकन अध्ययन किये जाने हेतु इन विषयों के विशेषज्ञों जो परियोजना प्रशासन से सम्बन्धित नहीं होते है की सेवायें ली जाती है जो अपने विषय से सम्बन्धित कार्यों एवं प्रभावों के मूल्यांकन अध्ययन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

(iii) वाह्य संस्थाओं द्वाराः– परियोजना कार्यक्रमों के प्रभावों का मूल्यांकन अध्ययन इस विषय की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा भी किया जाना है इस हेतु इन संस्थाओं का निश्चित प्रक्रिया से चयन कर उनसे इस कार्य हेतु अनुबन्ध किया जायेगा। संस्था द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार मूल्यांकन अध्ययन किया जायेगा व उसके द्वारा अपने अध्ययन कार्यों की रिपोर्ट निर्धारित समय अन्तराल के अनुरूप प्रदान की जायेगी।

4. बजट प्राविधानः– परियोजना के वार्षिक बजट हेतु कार्यदायी संस्था/ग्राम पंचायत के माध्यम से वार्षिक प्लान तैयार कर उप परियोजना निदेशक के माध्यम से क्षेत्रीय परियोजना निदेशक एवं परियोजना निदेशक विभागाध्यक्ष/मुख्य परियोजना निदेशक को प्रेषित करते है। मुख्य परियोजना निदेशक स्तर पर वार्षिक कार्य योजना का तकनीकी परीक्षण कर स्टेट

स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन करवाने के बाद उत्तराखण्ड शासन को वार्षिक कार्य योजना की धनराशि का प्राविधान हेतु प्रेषित किया जाता है।

(i) निर्णय का अधिकारः–(उत्तराखण्ड शासन का प्रशासकीय विभाग)

5. बजट आवंटनः–उत्तराखण्ड शासन से परियोजना हेतु प्राविधानित बजट से वित्तीय वर्ष के आरम्भ में मुख्य परियोजना निदेशक को वजट अवमुक्त किया जाता है।

(i) मुख्य परियोजना निदेशक, वन लेखा प्रणाली वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 के अनुसार सी0सी0एल0 प्रणाली के अन्तर्गत धनराशि के आवंटन हेतु आहरण वितरण अधिकारियों (क्षेत्रीय परियोजना निदेशकों एवं परियोजना निदेशक, प्रशासन) को उनकी कार्य योजना के आधार पर वजट आवंटित किया जाता है। तथा क्षेत्रीय परियोजना निदेशक अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी (क्षेत्रीय उप परियोजना निदेशकों) को अपने स्तर से बजट आवंटित करते हैं।

(ii) मुख्य परियोजना निदेशक, कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत धनराषि के आबंटन हेतु शासन स्तर से घोषित जिला स्तरीय डी0डी0ओ0 के व्यय हेतु वजट आवंटित करते हुये सम्बन्धित कोषागार को आवंटित बजट सीमा तक डी0डी0ओ0 द्वारा व्यय करने हेतु सूचित कर दिया जाता है।

निर्णय का अधिकारः– (मुख्य परियोजना निदेशक)

6. आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बजट का आहरणः–

(i) कोषागार प्रणाली के अन्तर्गतः– आहरण वितरण अधिकारी अधिष्ठान सम्बन्धित व्यय हेतु सम्बन्धित कोषागार के माध्यम से बिल प्रस्तुत कर कोषागार द्वारा जारी चैक की धनराशि का भारतीय स्टेट बैंक से आहरण किया जाता है।

7. साख–सीमा प्रणाली के अन्तर्गतः– वन लेखा प्रणाली वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 के अनुसार व्यय करने हेतु परियोजना के क्षेत्रीय कार्यो के सम्पादन हेतु धनराषि के आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट के अन्तर्गत साख – सीमा तक चैक से सीधे भारतीय स्टेट बैंक से धनराशि का आहरण किया जाता है। साख–सीमा प्रणाली के अन्तर्गत धनराषि के आहरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित बजट सीमा तक मुख्य परियोजना निदेशक (विभागाध्यक्ष) कार्यालय में नियुक्त वरिष्ठतम वित्त अधिकारी से साख–सीमा आवंटित करवानी होती है।

निर्णय का अधिकारः– (परियोजना निदेशक/उप परियोजना निदेशक (आहरण वितरण अधिकारी)

8. साख–सीमा का आवंटनः– आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट से धनराशि के आहरण हेतु प्रत्येक त्रैमास में होने वाले सम्भावित व्यय हेतु साख–सीमा मांग प्रस्ताव मुख्य परियोजना निदेशक को प्रेषित किया जाता है मुख्य परियोजना निदेशक स्तर से साख–सीमा आबंटन हेतु अनुमोदन होने पर मुख्यालय में नियुक्त वित्त अधिकारी साख–सीमा आबंटन आदेश आहरण वितरण से सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित किया जाता है।

निर्णय का अधिकारः– (वरिष्ठ वित्त अधिकारी)

9. प्रमाणक पारण प्रणालीः–

(i) कोषागार प्रणालीः– कार्यालयध्यक्ष (परियोजना निदेशक, प्रशासन/क्षेत्रीय परियोजना निदेशक/क्षेत्रीय उप परियोजना निदेशक) जिला स्तरीय डी0डी0ओ0 के माध्यम से परियोजना के अधिष्ठान से सम्बन्धित व्यय वेतन विल से सम्बन्धित आवश्यक सूचना निर्धारित तिथि तक कोषागार को प्रेषित करते हैं कोषागार तद्नुसार वेतन बिल तैयार/पारित कर धनराशि के भुगतान हेतु चैक सम्बन्धित बैंक के माध्यम से धनराशि के आहरण हेतु प्रेषित करता है।

परियोजना के आकस्मिक व्यय कार्यालय संचालन हेतु सहायक सामग्री हेतु कार्यालयध्यक्ष अपने कार्यालय से सम्बन्धित बिल डी0डी0ओ0 को प्रस्तत करते डी0डी0ओ0 सम्बन्धित बिलों को पारित कर कोषागार को प्रस्तुत करते है कोषागार से परित बिलों का चैक संबन्धित फर्म/संस्थान के नाम जारी कर डी0डी0ओ0 के माध्यम से प्रेषित करते है तथा कुछ भुगतान जो डी0डी0ओ0 के माध्यम से किये जाने होते है उनका चैक डी0डी0ओ0 के नाम जारी होता है। जिसको डी0डी0ओ0 के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के नाम इन्डोर्स कर भारतीय स्टेट बैंक से धनराशि का आहरण कर वितरित किया जाता है।

चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति किया जानाः– कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा चिकित्सा पर हुये व्यय के बिल निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये जाते है। तत्पष्चात् उन बिलों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु रू0 एक लाख तक प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एवं रू0 दो लाख तक मण्डलीय निदेशक तथा रू0 दो लाख से अधिक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रेषित किये जाते है। प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को रू0 चालीस हजार तक कार्यालय अध्यक्ष तथा रू0 एक लाख तक विभागाध्यक्ष एवं रू0 एक लाख से अधिक की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर बिल पारण के पश्चात् कोषागार को भेजे जाते है। कोषागार से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को भुगतान किया जाता है।

(ii)साख–सीमा प्रणालीः– आहरण वितरण अधिकारी (परियोजना निदेशक, प्रसाशन/क्षेत्रीय परियोजना निदेशक/क्षेत्रीय उप परियोजना निदेशक) वार्षिक कार्य योजना के अनुरुप निविदा द्वारा /राजकीय संस्थान /राज्य सकार का उपक्रम /ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओ से नियमानुसार आवश्यक नियम एवं शर्तो को पूर्ण करते हुये कार्यो की तकनीकी एवं निर्धारित मात्रा के अनुरुप कार्य होने पर प्रमाणक पारित कर सम्बन्धित को प्रमाणक के अनुरुप चैक निर्गत किया जाता है। ग्राम पंचायतो के माध्यम से कार्य करवाये जाने पर कार्य के आगणन का 10 प्रतिशत अग्रिम के रुप में कार्य कों गति प्रदान करने हेतु दिये जाने का प्राविधान है। जिसका समायोजन परियोजना समाप्ति तक किया जा सकता है।

विभाग द्वारा प्रशिक्षण /डेमोस्ट्रेशन/परियोजना स्टाफ इनसेंटिव एवं अन्य आकास्मिक कार्य परियोजना स्टाफ से करवाने हेतु वन लेखा प्रणाली वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 के अनुसार विभाग द्वारा घोषित संवितरक को माह में होने वाले सम्भावित व्यय के आधार पर वन अग्रिम दिये जाने का प्राविधान है। जिसका समायोजन वास्तविक विल प्राप्त होने पर माह के अन्त में किया जाता है।

निर्णय का अधिकारः– परियोजना निदेशक /मुख्य परियोजना निदेशक (आहरण वितरण अधिकारी)

10. परियोजना व्यय हेतु सक्षम अधिकारी स्वीकृतिः– आहरण वितरण अधिकारी आकस्मिक व्यय/ कार्यालय सचालन हेतु सहायक सामग्री/क्षेत्रीय कार्यो के सम्पादन हेतु भण्डार क्रय/ तकनीकी एवं प्राविधिक सेवा का क्रय/क्षेत्र में किये जाने वाले निर्माण कार्यो के लिये कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिय अधिकारो का प्रतिनिधायन वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 के अनुसार एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशो एवं संशोधनों के आधार पर वर्तमान में प्रयोग किये जा रहे है।

निर्णय का अधिकारः– विभागध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष (मुख्य परियोजना निदेशक/परियोजना निदेशक/उप परियोजना निदेशक)

11. निर्माण/क्षेत्रीय कार्यों के सम्पादन/भण्डार क्रय के लिये कोटेशन एवं निविदा हेतु निर्धारित परिसीमायेंः–

आहरण वितरण अधिकारी निर्माण/क्षेत्रीय कार्यों की सम्पादन/भण्डार क्रय के लिये कोटेशन एवं निविदा हेतु निम्न प्रकार निर्धारित परिसीमायें निम्न प्रकार है।

क्रं0सं0	क्रय विधि	प्राविधान
1.	बिना कोटेशन	–
2.	कोटेशन द्वारा	सामग्री पर क्रय US$ 500 से अधिक US$ 30000 तक
		कार्य क्रय US$ 2000 से अधिक US$ 50000 तक
3.	निविदा द्वारा	सामग्री क्रय US$30000 से अधिक के लिये
		कार्य क्रय US$ 50000 से अधिक के लिये
4.	Propritetary items	Direct Contracting

(US$ की धनराशि परिवर्तनीय है अतः क्रय प्रक्रिया के समय निर्धारित दरें मान्य होगी।)

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत निदेषालय स्तर पर क्रय समिति बनायी गयी हैं रू0 22500 से उपर की सामग्री क्रय करने हेतु अल्पकालीन कोटेशन सूचना आमंत्रित की जाती है एवं प्राप्त कोटेशनों को समिति के सम्मुख खोले जाते है तथा समिति के पश्चात सक्षम अधिकारी से स्वीकृति/संस्तुति अनुमोदनार्थ पश्चात सामग्री क्रय की जाती है।

सामग्री प्राप्त होने पर समबन्धित पंजिकाओं डी–2/डी–4/स्टेशनरी पंजिका (कन्जूएबल सामग्री) में पंजीकृत किया जाता है, समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

निर्णय का अधिकारः– (परियोजना निदेशक/उप परियोजना निदेशक(आहरण वितरण अधिकारी)

12. लेखा तैयार करनाः– साख सीमा प्रणाली के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत वन लेखा प्रणाली वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 के अनुसार धनराशि का आहरण एवं वितरण किया जाता है। आहरण वितरण अधिकारी निर्धारित

लेखा प्रणाली के अनुसार अपनी रोकड़ वही से स्वयं कार्यदायी संस्थाओं/फर्म/ठेकेदार/कंनसलटेंट/को भुगतान की समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुये सीधे चैक से भुगतान करते है।

वन अग्रिम के माध्यम से भुगतान करने हेतु निर्धारित लेखा प्रणाली के अनुसार क्षेत्रीय कार्यों के सम्पादन/आकस्मिक व्यय का भुगतान अपने अधीनस्थ नियुक्त संवितरकों को वन अग्रिम देकर संवितरक की रोकड़ वही के माध्यम से भुगतान किया जाता है। संवितरक वन अग्रिम के माध्यम से प्राप्त धनराशि को राजकीय व्यय हेतु उपयोग कर माह के अन्त में वास्तविक के प्रमाणकों सहित आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करते है, आहरण वितरण अधिकारी वन अग्रिम की धनराषि के सापेक्ष व्यय के प्रमाणकों की जांच एवं पारित कर व्यय सत्यापन कर लेखा पारित करते है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं के माध्यम से किया गया व्यय एवं संवितरकों के माध्यम से किये गये व्यय को प्रभागीय स्तर पर संकलित करते लेखा तैयार कर महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाता हैं।

निर्णय का अधिकारः–परियोजना निदेषक/उप परियोजना निदेशक (आहरण वितरण अधिकारी)

13. लेखा परीक्षा :–

(i) महालेखाकार द्वारा सामान्य सम्प्रेक्षाः–

आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष में किये व्यय का लेखा परीक्षा महालेखाकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। व्यय नियमानुसार/ निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत/शासनादेशों के अनुरुप किया गया है के सत्यापन हेतु महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का गम्भीरता से परीक्षण करते हैं।

(ii) महालेखाकार द्वारा एस.ओ.ई. सम्प्रेक्षाः–

विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि के सत्यापन हेतु विश्व बैंक गाईड लाईन के अनुसार महालेखाकार द्वारा विश्व बैक के नियमों के अनुसार किये गये व्यय का सत्यापन एवं निर्धारित प्रक्रिया की जांच करते है विश्व बैंक द्वारा व्यय हेतु निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के अनुसार व्यय होने पर ही विष्व बैंक को धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रमाण पत्र प्रेषित करते हैं जिसके आधार पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त होती हैं।

(iii) चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षाः–

विश्व बैंक परियोजना के व्यय हेतु विष्व बैंक निर्देशानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले प्रतिपूर्ति योग्य व्यय के त्रैमासिक सत्यापन हेतु एक चार्टेड एकाउन्टेंट को कन्सलटेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाता हैं, कन्सलटेंट विश्व बैंक के नियम/मानक/माप दण्डों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यों एवं भण्डार क्रय पर किये गये व्यय तथा

परियोजना के संचालन हेतु किये व्यय का परीक्षण कर व्यय का प्रमाण पत्र प्रेषित करते है, जिसके आधार पर विश्व बैंक धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है।

निर्णय का अधिकारः– महालेखाकार/फाईनेंसियल रिव्यू कन्सलटेंट

14. प्रतिपूर्ति दावों का प्रेषणः– आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह कोषागार एवं साख सीमा प्रणाली के अन्तर्गत किये गये व्यय विवरण बी.एम.–13 प्रपत्र पर व्यय की सूचना क्षेत्रीय परियोजना निदेशक के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित की जाती है। निदेशालय स्तर से विश्व बैंक की गाईड लाईन के अनुसार प्रोजेक्ट एप्रेजल डाक्योमेंट में प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित डिसबर्समेंट कैटेगरी के अनुसार व्यय की गयी धनराशि का निर्धारित प्रतिशत में प्रतिपूर्ति दावे भारत सरकार से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार कर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के माध्यम से विश्व बैंक को प्रेषित किये जाते हैं।

15. प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनातीः–स्वीकृत पदों पर विभिन्न रेखा विभागो से प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर उसकी विगत 5 वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर की जाती है।

निर्णय का अधिकारः– शासनादेश सं0 353/कृर्षि एवं जलागम/04 दि0 08.04.2004 द्वारा राजपत्रित पदों पर सचिव प्रशासनिक विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यो के द्वारा संस्तुति की जाती है, तथा अराजपत्रित पदों पर मुख्य परियोजना निदेशक, की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है।

16. तैनाती/स्थानान्तरणः– श्रेणी 'क' के पदों पर तैनाती/स्थानान्तरण शासन स्तर से की जाती है तथा श्रेणी 'ख' एवं उससे नीचे के स्तर के कार्मिको की तैनाती/स्थानान्तरण मुख्य परियोजना निदेशक, की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यो के द्वारा जिसमें उत्तराखण्ड की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप ही संस्तुति की जाती है।

निर्णय का अधिकारः– श्रेणी 'क' के कार्मिको की प्रशासनिक विभाग तथा श्रेणी 'ख' एवं उससे नीचे स्तर के कार्मिकों की मुख्य परियोजना निदेशक, द्वारा की जाती है।

18. नियुक्तिः– वर्तमान में जलागम प्रबन्ध निदेशालय में स्वीकृत पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनाती चयन किये जाने का प्राविधान है।

निर्णय का अधिकारः– मुख्य परियोजना निदेशक

19. सामूहिक जीवन बीमा का भुगतानः– सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिक के सामूहिक जीवन बीमा अंशदान के भुगतान हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दावा तैयार कर कोषागार को स्वीकृति/भुगतान हेतु भेजा जाता है।

20. पदोन्नतिः– विभिन्न पदों पर पदोन्नति उ0प्र0/उत्तराखण्ड की सामान्य नियमावली के अनुसार की गयी है। सेवा नियमावलीयां शासन को अनुमोदन हेतु भेजी गयी है। अनुमोदन के पश्चात् विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार की जायेगी।

निर्णय का अधिकारः– मुख्य परियोजना निदेशक

21. वेतनः– शासनादेश संख्या–235/21/वि0अनु0–1/2001/दिनांक 06.12.2001 का संलग्न माह में होने वाले परिर्वतन का सारांश कार्यालय द्वारा तैयार कर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार देहरादून को प्रेषित किया जाना।

निर्णय का अधिकारः– मुख्य कोषाधिकारी देहरादून से वेतन आहरण किया जाना।

22. वेतन एरियर/महंगाई भत्ता एरियरः– शासनादेषानुसार महंगाई भत्ते का एरियर बिल कार्यालय द्वारा तैयार कर कोषागार को भेजा जाना।

निर्णय का अधिकारः– मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।

23. समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमानः– शासनादेशानुसार जलागम प्रबन्ध निदेशालय के सीधी भर्ती कर्मचारियों की स्वीकृति की प्रक्रिया कार्यालय द्वारा।

निर्णय का अधिकारः– विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करने का अधिकार।

24. समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमानः– प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थान्तरण पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेशानुसार 327/xxxvii(3) स0वे0/2005 दिनांक 23.08.2005 के अनुसार उनके पैतृक विभाग को भेजा जाना।

निर्णय का अधिकारः– पैतृक विभाग में उनकी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ।

अवकाशः– जलागम प्रबन्ध निदेशालय/फील्ड स्तर पर कार्यालय अधिकारी के सम्बन्ध में अवकाश देयता उनके पैतृक विभाग/लेखा हकदारी, लक्ष्मी रोड डालनवाला से प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

निर्णय का अधिकारः– विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा।

26. अवकाश यात्रा सुविधाः– शासनादेशानुसार कार्यालय द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया।

निर्णय का अधिकारः– विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा।

27. जमानतः– कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जमानत जमा करने व अवमुक्त करने की कार्यवाही कार्यालय द्वारा।

निर्णय का अधिकारः– विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने/जमानत की धनराशि फिक्स करने व जमानत अवमुक्त करने का अधिकार।

28. सामान्य भविष्य निधि लेखा आवंटनः– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन हेतु सम्बन्धित विभाग के द्वारा प्रस्तुत आवेदन महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाता है तथा चतुर्थ श्रेणी के आवंटन संबन्धित कार्यालय से कोषागार को भेजा जाता है।

निर्णय का अधिकारः–

(1) महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा लेखा संख्या आवंटन की जाती है।

(2) चतुर्थ श्रेणी लेखा संख्या सम्बन्धित जिला के कोषागार द्वारा जारी की जाती है।

29. सामान्य भविष्य निधि में अभिदानः– वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक अभिदान होना चाहिए।

निर्णय का अधिकारः– शासनादेश के अनुसार।

30. सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम/अस्थाई अग्रिम की स्वीकृतिः– शासनादेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों के आवेदन शासन को भेजे जाते है तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के आवेदन पर कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

निर्णय का अधिकारः– अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि निष्कासन की स्वीकृति शासन से तथा अन्य अधिकारी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से निष्कासन की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष।

31. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम भुगतानः–प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु पैतृक विभाग को प्रेषित किया जाता है तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों का 90 प्रतिशत का भुगतान विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा 10 प्रतिशत भुगतान हेतु महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाता है।

निर्णय का अधिकारः– महालेखाकार/विभागध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष।

32. शिकायत निस्तारण प्रक्रियाः– परियोजना क्षेत्र वासियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा परियोजना कार्यों के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर मुख्य परियोजना निदेशक/परियोजना निदेशक (प्रशासन) द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से जांच करवाई जाती है। शिकायत सही पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण को त्वरित गति से सम्पादित किया जाता है।

शासन स्तर अथवा लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त गोपनीय शिकायत व सामान्य शिकायत पर मुख्य परियोजना निदेशक/परियोजना निदेशक स्तर पर कार्यवाही की जाती है। शिकायत निराधार होने पर उसे पंजीकृत किया जाता है तथा शासन को सूचित किया जाता है। लोकायुक्त कार्यालय की प्राप्त शिकायतों पर उनकी गहन जांच कर लोकायुक्त को रिपार्ट प्रेषित करते हुए निराकरण किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना हस्तपुस्तिका

भाग–1

मैनुअल संख्या 4

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चौदहवां संस्करण जून, 2022

मैनुअल सं0–04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर जो अधिनियम, नियमावली, मैनुअल, वित्तीय नियम संग्रह आदि प्रयोग में उनकी सूची तथा संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

क्र० सं०	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
1	2	3
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन से संबंधित नियमावली।
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4	सेवा सम्बन्धित नियमावली। जैसे वेतन निर्धारण, अवकाश से संबंधित नियमावली।
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3	यात्रा भत्ता नियमावली।
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1	लेखा नियमावली, लेखा से संबंधित प्रपत्रों का प्रारूप।
5	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी0डी0ओ0 से जुड़ा हुआ है।
6	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7	क्षेत्रीय कार्यो के निष्पादान से सम्बन्धित लेखा प्रणाली
7	बजट मैनुवल	बजट प्रक्रिया से संबंधित कार्य हेतु।
8	मैनुवल ऑफ गर्वनमेंट आर्डर	शासनादेशों का संग्रह ।
9	उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002	सरकारी सेवकों की वरिष्ठता संबंधी मानक आधार।
10	उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली, 2003)	जिन विभागों में विशिष्ट आधार पर स्वतंन्त्र नियमावली अधिसूचित नहीं है उसके लिये चयन प्रक्रिया के मानक।
11	उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002	सरकारी सेवकों के स्थाईकरण के आधार एवं स्थिति।
12	उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 2004	प्रोन्नति के मानक।
13	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004	इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया।

क्र० सं०	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
1	2	3
14	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 2003	सामूहिक बीमा निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्र तथा दायित्व।
15	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985	सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रक्रिया, प्रपत्र, दायित्व तथा सक्षम अधिकारी।
16	उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या नियमावली–1946 यथा संशोधित, 1968	राज्य कर्मचारियों को सेवारत/ सेवानिवृत्ति/मृतक आश्रितों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा का विवरण।
17	उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2003	सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने एवं उस पर विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने संबंधित विवरण।
18	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975	अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से संबंधित विवरण।
19	उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004	इस नियमावली में सरकारी सेवाओं में भर्ती किये जाने की आयु से संबंधित विवरण।
20	उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स, 1940 प्रथम संशोधन नियमावली, 1984	राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त देय राशिकरण से संबंधित नियम।
21	उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991	इसमें राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक निगमों से छंटनीशुदा कर्मचारियो को सरकारी सेवा में लिये जाने संबंधित प्रक्रिया।

<u>टिप्पणी</u>– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस आशय का प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिनियम/ नियम/शासनादेश/ प्रक्रिया तब तक लागू रहेगें जब तक ऐसे अधिनियम/ नियम/शासनादेश/प्रक्रिया उत्तरांचल अलग से संशोधित/प्रख्यापित नहीं करती है।